कुरुक्षेत्र

नवम्बर, 1989　　　　मूल्य दो रुपये

समन्वित ग्रामीण विकास

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैलगाड़ी और दुधारू पशुओं के लिए ऋण दिया जाता है।

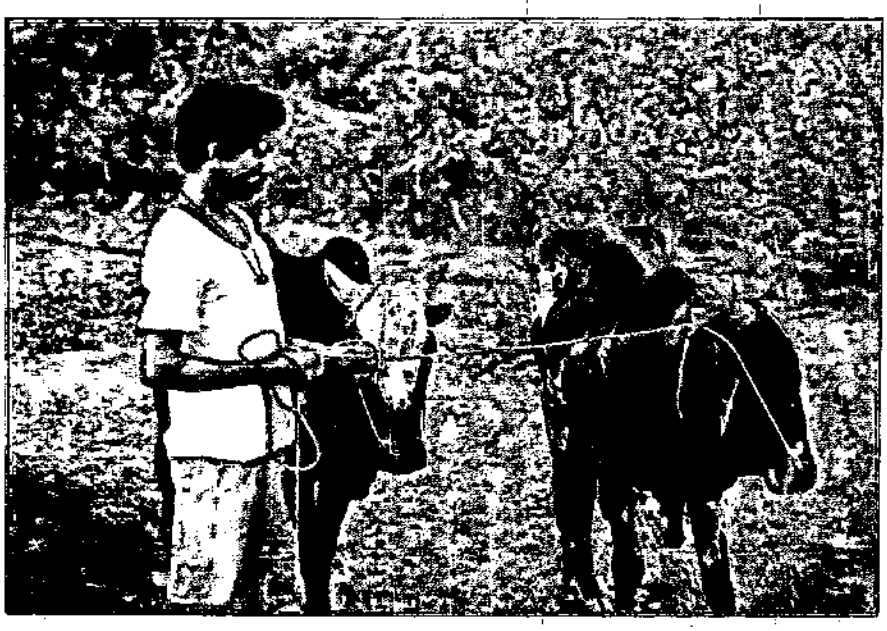

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण; हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष–35, अंक 1, कार्तिक-अग्रहायण-1911

कार्यवाहक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

उत्पादन अधिकारी : राम स्वरूप मुंजाल
आवरण पृष्ठों की साज सज्जा : अल्का
चित्र : फोटोग्राफर–रमेश कुमार
ग्रामीण विकास विभाग से साभार

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय सूची

विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास — 2
देवेन्द्र उपाध्याय

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 10 वर्ष : एक मूल्यांकन — 5
गणेश कुमार पाठक एवं श्रीनिवास गुप्त

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक आलोचनात्मक विश्लेषण — 10
एम. वी. राजशेखरन

गांवों में खुशहाली लाने का विशाल अभियान — 13
सुभाष चन्द्र 'सत्य'

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक दशक — 16
मनोहर पुरी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम– अवलोकन एवं निराकरण — 21
सुमित्रा चौधरी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दस वर्ष — 24
जे. पी. यादव

राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — 28
अनीता शर्मा

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : गांवों में गरीबी दूर करने की कारगर पहल — 32
इन्दिबजल

गरीबी उन्मूलन एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — 38
चन्द्र शेखर मिश्र

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम– एक मूल्यांकन — 41
भगवान सिंह जाट

आई. आर. डी. पी. (कविता) — 46
मुकेश जैन

उनका जीवन बदल रहा है — 47
प्रभात कुमार सिंघल

नव-विकास (कविता) — 48
मोहन चन्द्र 'मंटन'

ग्रामीण विकास में सफल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — 49
नैपाल सिंह

राष्ट्रीय एकता की प्रतीक : इंदिराजी — 50
रक्षा देवी

पुस्तक समीक्षा — 52
अमरीश सिंह 'गौतम'

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास

देवेन्द्र उपाध्याय

भारत की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती आई है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण आबादी कई कारणों से कम होती गई। जिनमें एक कारण नगरों और कस्बों के आस-पास बसे गांवों का शहरीकरण होना और दूसरा कारण रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन होना है। इसके बावजूद आज भी देश की करीब 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। देश में गांवों की संख्या 5,76 लाख है।

पं. नेहरू जानते थे कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था—"देश की सच्ची प्रगति तभी होगी जब गांवों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक चेतना आए। देश की प्रगति का सीधा संबंध गांवों की प्रगति से है। यदि गांव प्रगति करेंगे, तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा।"

स्वतंत्रता के बाद गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने की शुरुआत हुई, हालांकि यह काम बहुत कठिन था। वर्षों की गुलामी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। गांवों और गांवों के लोगों को एक नई रोशनी पहुंचाने की शुरुआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास की समन्वित नीति शुरू की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास के कदम कुछ और आगे बढ़े। इसके साथ ही देश में 5 हजार राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड गठित किए गए। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यह काम आगे बढ़ा। ग्रामीण विकास के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गईं।

लेकिन यह देखा गया कि विकास का लाभ आमतौर पर उन किसानों को ही अधिक मिला जो साधन संपन्न थे। हरित-क्रांति का लाभ भी इसी वर्ग के किसानों तक पहुंचा। छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना बहुत जरूरी था, इसके लिए चिन्तन शुरू हुआ। इसी चिन्तन के परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार की कई नई प्रायोगिक योजनाएं अस्तित्व में आईं। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा ग्रामीण जनशक्ति जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए थे जिन्हें छठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसके बाद गांवों में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के हित में 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकास कार्यक्रमों का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। इसी अवधि में ही ग्रामीण क्षेत्रों की असमानताओं को दूर करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया।

वास्तव में ग्रामीण विकास तब तक संभव नहीं जब तक कि गांवों के गरीबों को विकास का सही लाभ न मिले। सबसे बुनियादी जरूरत गरीबी पर सीधे हमला करने की थी और 1960 और 1980 के बीच तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या 50 प्रतिशत थी। छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए गए। इनका उद्देश्य गरीबी के अनुपात को लगातार कम करना था और उसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79 में शुरू किया गया और 1980-81 में इसके अंतर्गत पूरे देश को शामिल किया गया। इसमें देश के सभी विकास खंड शामिल हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लक्षित वर्ग के ग्रामीण परिवारों को सहायता दी जाती है जो 4800 रु. की निर्धारित रेखा से नीचे वार्षिक आय वाले हों। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए गरीबी की रेखा की आय 6400 रु. वार्षिक है। लक्षित वर्ग में छोटे तथा सीमांत किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को इस कार्यक्रम का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सहायता किए जाने वाले परिवारों में से 30 प्रतिशत परिवार इन वर्गों के होने चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थियों में से महिलाएं कम से कम 30 प्रतिशत हों। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि के आवंटियों, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के परिवारों को भी सहायता देने के मामले में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। सारे कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय समन्वय समिति पर होती है। केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग इस कार्यक्रम के लिए समग्र मार्गदर्शन देने, नीति तैयार करने तथा मानिटरिंग का कार्य करता है। इस तरह से यह पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से चलता है।

छठी योजना अवधि (1980-85) में, कार्यक्रम के अंतर्गत नये परिवारों को शामिल किया गया। वर्ष 1980-81 में प्रति परिवार कुल निवेश 1662 रुपये था जो 1984-85 में 3339 रुपये हो गया। वर्ष 1988-89 में प्रति परिवार कुल निवेश की राशि 5093 रुपये पहुंच गई। सातवीं योजना के दौरान सहायता की पूरक किस्त देने के लिए छठी योजना में सहायता प्राप्त परिवारों सहित कुल 2 करोड़ परिवारों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए राज्यों के अंशदान सहित कुल 2358.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही इस योजना अवधि में कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण जुटाए जाने की भी संभावना है।

गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की जो प्रक्रिया है, वह धीमी तो है ही निरंतर चलने वाली भी है। इसलिए एक ही बार में किसी परिवार को सहायता देकर यह सोचना कि वह गरीबी की रेखा को पार कर लेगा, मात्र कपोल कल्पना ही माना जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने अक्तूबर 1985 से इस कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया। समवर्ती मूल्यांकन की पद्धति 29 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं ने शुरू की, जिसके कि पर्याप्त सकारात्मक परिणाम सामने आए।

वर्ष 1985 से 1988 तक 1,10,55,243 परिवारों को सहायता दी गई। इसके लिए 178192.72 लाख रु. की निधियों का उपयोग किया गया तथा 292038.85 लाख रु. के ऋण जुटाए गए। सातवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के बारे में और व्यापक नीति अपनाई गई है। इसमें छठी योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले उन परिवारों को पूरक सहायता देने की व्यवस्था रखी गई जो किन्हीं कारणों से गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इसके साथ ही जो नये लाभार्थी परिवार हैं उन्हें एकमुश्त सहायता देने का प्रावधान किया गया जिससे कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

इसके अलावा प्रतिभूति मुक्त ऋण की सीमा 5 हजार रु. से बढ़ाकर 10 हजार रु. तथा आई.एस.बी. की सीमा 25 हजार रु. कर दी गई। चयन के प्रयोजन हेतु आय सीमा बिन्दु को प्रति परिवार 4800 रु. तक बढ़ा दिया गया। लेकिन इससे पहले 3500 रु. तक की आय वाले सभी परिवारों को कार्यक्रम में कवर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को और व्यापक तथा सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करना रहा है।

कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और सुधार के लिए 1988-89 में कई और नये कदम उठाए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था सामूहिक जीवन बीमा योजना। इस कार्यक्रम से लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यह बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अधीन अप्रैल 1988 से कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवार लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रत्येक लाभार्थी का तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 हजार रु का बीमा किया जाता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने की स्थिति में दुगना लाभ मिलता है।

इसके साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए भी कई नये कदम उठाए गए हैं। इनमें फलों और खाद्य पदार्थों को संसाधित करने की यूनिटें और मछली पालन आदि के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मांग वाली वस्तुओं तथा रक्षा सेनाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड एवं समन्वित बाल विकास सेवाओं जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय पर भी बल दिया गया है।

कार्यकलापों में विविधता लाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पशुपालन तथा मछलीपालन, बागवानी एवं संसाधित खाद्य पदार्थ तथा ग्रामीण औद्योगीकरण संबंधी तीन कार्यदल गठित किए गए हैं। इन कार्यकारी दलों का कार्य वर्तमान कार्यक्रम की समीक्षा करना, चयन किए गए क्षेत्रों में परियोजनावार गतिविधियों की पुनरीक्षण करना तथा संबंधित क्षेत्रों में अन्य संगठनों तथा केंद्र व राज्यों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र सहायता सुलभ कराना ही नहीं बल्कि लाभार्थी परिवारों को काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों को लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कई वस्तुएं उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दी गई हैं। इनमें संसाधित खाद्य पदार्थों का उत्पादन, 75 रुपये से कम कीमत के जूते, टेलीविजन सेट (ब्लैक एंड व्हाइट), रेडियो, कैसेट प्लेयर रिकार्डर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक घड़ियां, आडियो कैसेट अडाप्टर, खिलौने आदि शामिल हैं। लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन महिला एजेंसियों, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्राप्त यूनिटों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार सामान की व्यावसायिक आधार पर बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कपार्ट' में एक अलग सैल की स्थापना की गई है। यह सैल परामर्श और विपणन विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन विशेषज्ञों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार सामान की बिक्री सुनिश्चित करने में राज्यों को परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी दूर करने और ग्रामीण विकास के लिए एक कारगर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के पीछे यह मूल भावना निहित है कि विकास का लाभ उस आम आदमी तक भी पहुंचे जो सदियों से शोषित-पीड़ित और पिछड़ा रहा है। इस भावना को पूरा करने में सफलता तो मिली है लेकिन जितनी अधिक मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, क्योंकि इसकी गति धीमी है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास की जो अन्य योजनाएं या कार्यक्रम हैं उनके साथ जहां जिस राज्य में जितना अधिक समन्वय हुआ है उतना ही अधिक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल रहा है। वास्तव में इन दस वर्षों की अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को ऊपर उठाने में काफी योगदान दिया है।

सी-7/18-ए, लारेंस रोड
दिल्ली-110035

गांधी जयंती के अवसर पर पिछले दिनों प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस में एक पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री पी. मुरारी ने किया। चित्र में श्री मुरारी के बाईं ओर खड़े हैं प्रकाशन विभाग के निदेशक डॉ. श्याम सिंह शशि।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 10 वर्ष : एक मूल्यांकन

गणेशकुमार पाठक
श्रीनिवास गुप्त

छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुचारु रूप से लागू किया गया। विगत पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर इस कार्यक्रम को सातवीं योजना एवं प्रस्तावित आठवीं योजना के ग्रामीण विकास कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

संकल्पना

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे पहला समन्वित प्रयास हमारे ग्रामीण समुदाय में व्याप्त गरीबी, जड़ता व अज्ञानता को समाप्त करना है। इसके अन्तर्गत गांवों में निवास करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाती है और उनके विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थाएं व वित्तीय संस्थाएं इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की वस्तुओं—कृषि एंव गैर-कृषि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने तथा इसे लाभकारी बनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें हर एक संस्था का अपना योगदान व महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व निर्धारित होती है।

लक्ष्य

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित ऐसे कृषि मूलक उद्योगों की स्थापना करना जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें।
2. आधुनिक विज्ञान व तकनीकी की सहायता से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसका लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग भी उठा सकें।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के अत्याधिक पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे कि यह पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

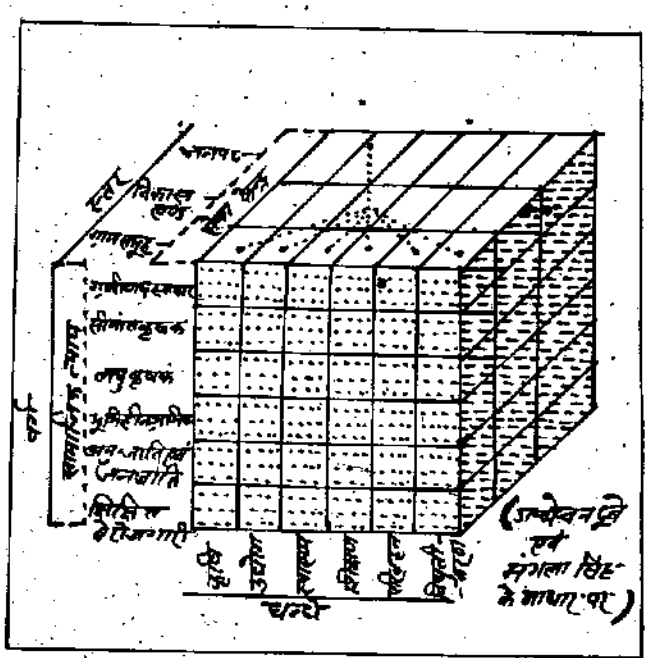

आरेख-1. समन्वित ग्रामीण विकास की बहुधन्धी, बहुवर्गीय एवं बहुस्तरीय संकल्पना

लक्ष्य वर्ग

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सबसे निर्धन लोगों अर्थात् निर्धनों में भी निर्धन व्यक्तियों व परिवारों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्राय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषिहर एवं गैर कृषिहर श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, सीमान्त व छोटे किसान जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संदर्भ में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से तात्पर्य छठी योजना के दौरान ऐसे परिवारों से था जिनकी वार्षिक आय 3,500 रुपये से कम थी। सातवीं योजना में यह सीमा बढ़ाकर 4,800 रुपये कर दी गई थी जिसे पुन: बढ़ाकेर 6,400 रुपये कर दिया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हकदार

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की पहचान हाऊस होल्ड सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। हाऊस होल्ड सर्वेक्षण की प्रणाली तैयार करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये सर्वेक्षण ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और आय के आधार पर उन्हें अलग-अलग वर्गों में बांटा जाता है।

व्यावसायिक संरचना की विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया गया कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कम से कम 33 प्रतिशत लाभार्थी सम्मिलित किए जाएं। इसलिए लाभार्थियों की पहचान के काम में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, बैंकों आदि का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है। सहायता प्रदान करने के लिए जिन परिवारों का चयन किया जाता है उनकी सूची ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है। चयन किए गए परिवारों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं जिसे 'विकास पत्रिका' कहते हैं। इस 'विकास पत्रिका' में एक लाभार्थी द्वारा प्राप्त समस्त सहायता का पूरा विवरण और उसके द्वारा वापिस किए गए ऋण का विवरण रहता है। इस 'विकास पत्रिका' को ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर पर कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दी गई है। सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक फुल-टाइम प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कृषि, पशुपालन तथा सम्बंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोजेक्ट अफसर होते हैं। सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को नियोजन दल की सम्पूर्ण सेवाएं प्राप्त होती हैं। हरेक नियोजन दल के अन्दर एक अर्थशास्त्री, ऋण नियोजन अधिकारी एवं ग्रामीण उद्योग अधिकारी होता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी तथा ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सहायता के योग्य परिवारों को पहचान करके उनके विकास के अनुकूल आर्थिक योजना तैयार करे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आयाम

लक्ष्य वर्ग के अन्तर्गत आय के साधन का निर्माण करने के लिए जिन क्रियाओं का अनुमोदन किया जाता है उन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—प्राथमिक, गौण एवं तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख कार्य कृषि, गौण क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख कार्य वनखण्ड एवं तृतीयक वर्ग में खादी व ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी आदि तथा परिवहन, छोटे आकार की व्यापारिक क्रियाएं एवं सम्बंधित क्रियाएं शामिल की जाती हैं। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 600 परिवारों का आर्थिक सहायता के लिए चयन किया जाता है, जिसमें से 400 परिवारों को प्राथमिक क्षेत्र तथा शेष 200 परिवारों को उद्योग निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत— (क) दुग्ध सहकारिताओं, मुर्गी पालन में लगे कृषकों, मछुआरों आदि को उपकरण की आवश्यकताओं की आपूर्ति, (ख) उत्पादक सहकारिताओं के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था, (ग) उत्पादन के विदोहन, विपणन व संग्रहण के लिए सहकारिताओं की सहायता करना, (घ) पशुपालन फार्मों की स्थापना आदि क्रियाओं के संचालन की भी व्यवस्था की गई है जो कि विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक अनुदान व संस्थागत ऋण प्राप्त कराए जाते हैं। चयनित परिवारों को प्रदान की गई परिसम्पत्तियों का वित्तपोषण 1:2 के औसत अनुदान ऋण अनुपात में सरकारी अनुदानों और संस्थागत ऋणों द्वारा किया जाता है। आर्थिक सहायता की दर कुल पूंजी-निवेश की 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत के बीच निश्चित की जाती है। एक परिवार को अधिक से अधिक 3,000 रुपये आर्थिक अनुदान के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। कुल पूंजी-निवेश का 25 प्रतिशत भाग तक छोटे किसानों को अनुदान दिया जा सकता है जबकि शेष सभी वर्गों को 33.33 प्रतिशत तक अनुदान दिए जा सकते

हैं। जनजाति परिवारों को सहायता के रूप में अधिक से अधिक 5000 रु. दिये जा सकते है जो कुल लागत के 50 प्रतिशत है।

सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

सातवीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि छठी योजना में जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाएगा ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने का उत्तम साधन बन सके। अतः छठी योजना को परीक्षण की अवधि कहा जा सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदाय को सम्बोधित करके विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनके दो उद्देश्य होंगे: पहला उद्देश्य उन्हें पहचानना जिन्हें छठी योजना में पहले ही सहायता प्राप्त कर लेने के बाद भी आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के पूरक सहायता की आवश्यकता है और दूसरा उद्देश्य गरीबी समूह के सबसे नीचे के उन लोगों को पहचानना जो अभी तक लाभों से वंचित रहे हैं। इन सर्वेक्षण के साथ-साथ गरीब परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी करनी होगी ताकि न केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अपितु गरीबी हटाने व गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के अन्तर्गत एकीकृत लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य ग्रुप परिवारों को पहचाना जा सके।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना में 1994-95 तक गरीबी अनुपात को कम करके 10 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 करोड़ परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छठी योजना के 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच जो लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार न कर सके हों उन्हें सातवीं योजना में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उनमें से लगभग 50 प्रतिशत व्यक्तियों को औसतन 500 रुपये प्रति परिवार की दर से अनुदान की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1328.88 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार भी इतनी ही धनराशि उपलब्ध कराएगी। शेष धन राशि अन्य योजनाओं के लिए होगी। बैंकिंग क्षेत्र से लगभग 4000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाया जाएगा एवं सहकारी समितियों से कुल ऋण का उचित प्रतिशत जुटाया जाएगा जिनमें सातवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1985-86 और 1986-87 के दौरान 68.8 लाख परिवार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इन दो वर्षों में सरकार ने 749.73 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च किए जबकि वाणिज्यिक बैंकों ने 1,701 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण प्रदान किए।

समस्याएं

पिछले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में आने वाले व्यवधान व कमियों को पता लगाने एवं उसका मूल्यांकन करने के लिए 'नाबार्ड' द्वारा विभागीय स्तर पर एक अध्ययन किया गया। 15 राज्यों में यह अध्ययन किया गया जिनमें 30 जिले, 60 विकास खंड, 122 वित्त पोषक बैंकों की शाखाएं एवं नमूने के रूप में 1498 कार्यक्रम लाभार्थी सम्मिलित किए गए। पिछले दस वर्षों के अनुभव व इस अध्ययन में उपलब्ध परिणामों के आधार पर हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निम्न कमियों को स्पष्ट करना चाहेंगे।—(क) यह आवश्यक था कि इतने व्यापक स्तर के कार्यक्रम को ध्यान में लाने से पहले ही सभी प्रारम्भिक तैयारियां पूरी तरह से कर ली जातीं। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप समन्वित ग्रामीण विकास के पालन में अनेकानेक निम्न कमियां आई हैं:

1. आय अर्जन और परिसम्पत्ति के निर्माण में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान नहीं के बराबर रहा है।
2. प्रत्येक परिवार पर किए जाने वाली निवेश की राशि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त नहीं है।
3. अलग-अलग ब्लॉक में गरीबों की दशा अलग-अलग होती हैं, ऐसी स्थिति में देश के सम्पूर्ण ब्लॉकों में से प्रतिवर्ष 3000 परिवार आर्थिक सहायता के लिए चुनना सही प्रतीत नहीं होता। क्योंकि सातवीं योजना में यह सुधार किया गया कि प्रत्येक ब्लॉक में लाभार्थियों का चयन उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक ब्लॉक से कुछ लाभार्थी चयन किए जाएं।
4. ऋण एवं अनुदान की राशि से प्रायः गरीब परिवार तो लाभान्वित हो सकता है परन्तु गरीबों में गरीब परिवार के लिए यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध नहीं हो रही है।
5. भारत के उत्तरी-पूर्वी प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को अमल करके इस क्षेत्र के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इस वास्ते एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जो उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

6. ध्यान में रखी गई विभिन्न योजनाओं के जांच के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। इनकी कमी को दूर करने के प्रयास किए जाएं।

7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें इसके बारे में उपयुक्त जानकारी और शिक्षा दी जाए।

8. यह आवश्यक है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता को स्थायी बनाने के लिए भू-सुधार के कार्यक्रम को कठोरता से पालन किया जाए।

9. उत्पादक कार्यों के वास्ते ली गई आर्थिक सहायता अनेक बार उपभोग क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है और इस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लग पाता।

10. बेनामी लाभार्थियों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

(ख) इस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी उपयुक्त ऊपरी ढांचे का अभाव है। दूरस्थ स्थित अनेक गांव, ब्लॉक, हैडक्वार्टर से किसी प्रकार जुड़े नहीं हैं। इसी प्रकार दूरसंचार के साधनों का अभाव भी खलता है। अतः ऐसी स्थिति में बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइओं का सामना करते हैं। 'नाबार्ड' द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार पिछले सभी अथक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण भारत का लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच से बाहर रहा है। अतः जब तक ग्रामीण क्षेत्र में ऊपरी ढांचे की सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं तब तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सेवाओं को दूर-दूर तक फैलाना सम्भव नहीं।

(ग) यह कठिनाई भी अनुभव की जा रही है कि गरीब ग्रामीणजन को किस प्रकार की लाभदायक योजनाओं में लगाया जाए। एक आवश्यक शर्त है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी को सरकार या बैंक का कोई बकाया ऋण न लौटाना हो। अगर ऐसा होता है तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती। ऐसी परिस्थितियों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समक्ष यह गम्भीर समस्या बनी रहती है कि आर्थिक सहायता के योग्य गरीब वर्ग के लोगों की पर्याप्त संख्या में पहचान नहीं हो पाती। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश कर देते हैं जो कि शायद इतने गरीब नहीं होते जितने कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिभाषित किए गए हैं।

(घ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जहां एक ओर अपने पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप चयनित प्रार्थियों की सिफारिश करते जाते हैं दूसरी ओर बैंकों की ग्रामीण शाखाएं उतनी तेजी से काम नहीं कर पातीं। विशेष रूप से यह समस्या उन ब्लॉकों की पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं तथा उपलब्ध शाखाओं का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सिफारिशों के बावजूद बैंकों द्वारा प्रार्थियों को ऋण देने में अनावश्यक देरी होती है।

(ङ) कुछ जिलों में किए गए हाल के एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं बैंक के कर्मचारी इस कार्यक्रम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान नहीं हैं। अधिकतर प्रस्तावों पर बिना कुछ विचार किए ही ऋण-प्रदान कर दिए जाते हैं जो न तो पर्याप्त होते हैं और न ही इनका आबंटन ठीक प्रकार से हो पाता है। परिणाम यह होता है कि लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत ऋण तो प्राप्त कर लेता है परन्तु इस राशि का उचित प्रयोग नहीं कर पाता है। वह व्यर्थ ही इस धन राशि को गवां देता है जिससे वह ऋण वापस लौटा नहीं पाता है। इस प्रकार वह पुनः बैंकों या सहकारी समितियों से नया ऋण प्राप्त करने का हक भी खो बैठता है।

(च) अगर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संगठन पर हम दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि इस योजना में ग्रामीण विकास के लिए किसी स्थायी संस्था के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण केवल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रशासन को चला रही है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें सामान्य-जन का योगदान हो और नीति-निर्धारण में सामान्य-जन की आवाज हो। अतः डर बना रहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी मात्र सरकार का एक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा जिसके प्रति सामान्य- जन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं होगा जिस प्रकार कि अतीत में दुर्भाग्यवश सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ हो चुका है।

समस्याओं का समाधान

हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सफलता के लिए निम्न सुझाव देना चाहेंगे:

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और ब्लॉक के अधिकारी ही उस स्कीम का चुनाव और सुझाव करते हैं जिसमें लाभार्थी का हित निहित होता है। अतः इसका चुनाव करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्य में पर्याप्त बचाने की गुंजाइश हो।

2. जब एक बार किसी स्कीम का निर्णय ले लिया गया हो तो ब्लॉक अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व बैंक तथा अन्य सम्बंधित संस्थाओं को समन्वित तरीके से इस स्कीम को अमल में लाने के प्रयास करने चाहिए। ध्यान में लाना चाहिए कि लाभार्थी न केवल ऋण की रकम लौटा पाए बल्कि उसके पास कुछ आय बच भी पाए ताकि वह उसे आर्थिक कार्य में स्थायी रूप से लगा सके।

3. प्रत्येक ब्लॉक में किए गए निवेश-व्यय पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अधिक कठोरता से निगरानी रखी जानी चाहिए।

4. राज्य स्तर पर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा उन सभी संकेतकों पर गम्भीरता से गौर किया जाना चाहिए जो निवेश व्यय के औचित्य और उत्पादकता को निर्धारित करने में मदद दें।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का समय-समय पर अध्ययन किया जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भी ये अध्ययन किए जा सकते हैं। इन अध्ययनों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यात्मक कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

6. प्रत्येक ब्लाक द्वारा एक समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए। जिसमें लाभार्थियों की पहचान, ऋण प्रतिवेदन जमा करना, परिसम्पत्ति की आपूर्ति आदि सभी प्रमुख क्रियाओं का पूर्ण विवरण होना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इस बात की निगरानी रखनी चाहिए कि ब्लॉकों द्वारा बनाई गई योजना का समयबद्ध तरीके से पालन किया जा रहा है।

7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ध्यान में लाने में लगे कर्मचारियों के काम के साथ भी उत्पादकता का सिद्धान्त जुड़ा रहना चाहिए। उन कर्मचारियों को पर्याप्त पारितोषिक दिए जाने चाहिए जो आर्थिक सहयोगपूर्ण और उत्पादक सिद्ध हो रहे हैं। यह निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया जा सकता है कि पारितोषिक किस रूप में दिया जाए।

8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संगठनात्मक पहलू में पर्याप्त सुधार किए जाने चाहिए। इससे सहकारी समितियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य से जोड़ा जाना चाहिए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। ग्रामीण गरीबों से जूझने का यह एक अद्वितीय प्रयास है। नि:संदेह यह कार्यक्रम सही दिशा में है। इस समय केवल जरूरत इस बात की है कि कार्यक्रम से सम्बंधित जिन कमियों की ओर ध्यान दिलवाया जा चुका है उनमें सुधार किया जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस भी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए उस परिवार के लिए एक ऐसी परिसम्पत्ति तैयार हो जानी चाहिए जिससे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके।

द्वारा—प्रतिभा प्रकाशन, निकट वैशाली होटल
बलिया-277001 (यू.पी.)

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का न केवल अनुचित कार्यान्वयन हुआ है बल्कि यह अपने मूल उद्देश्य को भी खो बैठा है। कार्यक्रम में सहायता से पूर्व और सहायता के बाद के समन्वयन की आवश्यकता की अनदेखी हुई। चारे की स्थानीय उपलब्धता, पशु उपचार सेवाओं और दूध विपणन केन्द्रों का कोई ध्यान नहीं रखा गया जिनके बिना दुधारू पशु लाभदायक नहीं हो सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं की गई कि लाभार्थी अपनी नई परिसम्पत्तियों का लाभकारी तरीके से संचालन कर सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में से सबसे गरीब की मदद करना था। लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि उनमें हुनर, सामाजिक स्तर, शिक्षा और साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण की कमी थी, इसलिए वे सफल उद्यमी नहीं बन सके।

चार वर्ष पूर्व किए गए एक अध्ययन के अनुसार इन कमियों के फलस्वरूप केवल 20 प्रतिशत गरीब परिवार ही गरीबी की रेखा को पार कर सके। अनेक अध्ययनों से पता चला कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अपनी सम्पत्तियों को बेच दिया क्योंकि वे उनका सफलतापूर्वक संचालन करने में असमर्थ थे। बिक्री से उन्हें लाभ हुआ क्योंकि उन्हें वे सम्पत्तियां रियायती दरों पर प्राप्त हुई थीं। लेकिन इससे लाभार्थियों को नियमित तौर पर गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का ध्येय पूरा नहीं हुआ।

ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम बनाने में लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को ध्यान में रखना ही काफी नहीं है बल्कि इनके सामाजिक क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मात्रा की दृष्टि से विकास हुआ है लेकिन साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ी है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर सरकार द्वारा शुरू किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और दूसरे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम हैं और उन्हें सही उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है। इन कार्यक्रमों में कोई न कोई कमी बता देना बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती। उसमें अनुभव और विचारों के आदान-प्रदान से सुधार किए जा सकते हैं। सही बात तो यह है कि सभी कार्यक्रम और परियोजनाएं सही और सूझबूझ के साथ बनाई गई थीं लेकिन उन्हें अमल में सही ढंग से नहीं लाया गया है। अलग-अलग समुदाय के उत्थान के लिए समुदाय विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। गरीबी के नाम पर आडम्बरों और अस्थाई उपायों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रेट ब्रिटेन के सुसैक्स विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर डा. इपेस्टीन ने एक स्थान पर उल्लेख किया है कि सामाजिक विकास में मानवशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक वर्षों के अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों वाले विभिन्न समुदायों का आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया होती है।

यह सुझाव दिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में केवल परम्परागत क्षेत्रों को ही शामिल किया जाना चाहिए बल्कि इसमें परिस्थिति विज्ञान और कृषि विज्ञान पर भी बल दिया जाना चाहिए। हमारे देश में प्राप्त हुए अनुभवों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में होने वाले विकास कार्यों के लाभ पर पानी फेर सकती है। यदि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सफल हो जाते हैं तो भीतरी क्षेत्रों में चल रहे दूसरे छोटे-छोटे कार्यक्रम स्वतः ही सफल हो जायेंगे। उदाहरण के तौर पर भूमि सुधार, ग्रामीण सड़कों, पीने के पानी, ग्रामीण आवास, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा आदि जो भी योजनाएं हैं वे आज की स्थिति से भी कहीं अच्छी तरह काम करती हैं लेकिन इसके लिए निचले स्तर पर सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसें किसी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चलाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में साथ लेकर चलना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

अनुवाद : शशि बाला

गांवों में खुशहाली लाने का विशाल अभियान

सुभाष चन्द्र 'सत्य'

इसे सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि भारत के जिस महान सपूत ने स्वतंत्रता के पूर्व अपनी घोषणाओं में और स्वतंत्रता के उपरान्त अपनी योजनाओं में ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने के दृढ़ संकल्प का परिचय दिया उसके जन्म शताब्दी वर्ष में पंचायती राज प्रणाली की पुनर्स्थापना तथा जवाहर रोज़गार योजना के माध्यम से गांवों के लोगों में उनका खोया विश्वास, गौरव तथा शक्ति फिर से जगाने का उल्लेखनीय प्रयास किया जा रहा है। इन दो उपायों से गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो करवट आ रही है, वह युगदृष्टा नेहरू के उन शब्दों की सार्थकता को उजागर करती है, जो उन्होंने 2 अक्तूबर 1959 को राजस्थान में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ करते हुए कहे थे। उन्होंने कहा—"देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांवों की प्रगति से है। यदि गांव प्रगति करेंगे तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा।"

वास्तव में गांवों की प्रगति पर बल देने के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो यह कि आज भी हमारे देश की तीन चौथाई से भी अधिक आबादी गांवों में रहती है। इसका कारण यह है कि गांव हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का योजनाबद्ध प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे गांवों का बहुसंख्यक वर्ग पराश्रित हो गया और गरीबी तथा जहालत का शिकार हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही गांवों की इस दयनीय स्थिति को सुधारने की अनिवार्यता हमारे नेताओं ने महसूस कर ली थी और स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास की यात्रा के प्रारम्भ में ही ग्रामोत्थान हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्यों का अंग बन गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में उठाए गए युगान्तरकारी कदम से लेकर आज तक गांवों से गरीबी दूर करने और लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की यह लम्बी यात्रा जारी है, यद्यपि गरीबी के दैत्य को पूरी तरह नष्ट करने में हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। समय-समय पर बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर ग्रामोत्थान के जो असंख्य कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, उनमें 10 वर्ष पूर्व चलाए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शीर्ष स्थान है।

गरीबी पर प्रहार

जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गांवों में व्याप्त गरीबी ही ग्राम-विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रही है और उसे दूर करने के लिए नियोजित विकास के प्रथम चरण में ही प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए थे। किन्तु छठी योजना में गरीबी पर सीधे प्रहार की नीति अपनाने का निर्णय किया गया। इसी पृष्ठभूमि में 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से एक व्यापक योजना अस्तित्व में आई। 1980-81 तक देश के सभी विकास खंडों में यह कार्यक्रम लागू कर दिया गया। यह कार्यक्रम अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों से इस माने में भिन्न है कि इसमें न केवल व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें गरीबी से छुटकारा पाने में सहयोग देने का प्रावधान है बल्कि इसका उद्देश्य बेरोज़गारी दूर करके लोगों को स्वावलम्बी बनाने और स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के जरिए समूचे ग्रामीण जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाना भी है। यह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही देश की 48 प्रतिशत आबादी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का अनूठा अभियान है। कृषि, उद्योगों, सेवा, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में विकास और रोज़गार के नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम से लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाकर उनके सामान्य उत्थान का लक्ष्य सामने रखा गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भले ही कुछ विशेषज्ञों में पूर्ण सहमति न हो, किन्तु इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पिछले दस वर्षों में गरीबों, खासकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए बहुत बड़ी आशा बनकर उभरा और आज यह ग्रामोत्थान के व्यापक अभियान का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।

मुख्य पहलू

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांवों में चुने हुए निर्धन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद देना है। इसके लिए लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ सबसिडी भी दी जाती है। काम-धन्धे के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों और बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। वैसे गरीबी की रेखा 6400 रुपये वार्षिक आय मानी गई है, किन्तु इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत उन्हीं परिवारों को चुना जाता है, जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये सालाना तक हो। इरादा यह है कि अधिक गरीब लोगों को पहले लाभ पहुंचाया जाए।

यह तथ्य सर्वज्ञात है कि गांवों के गरीबों में भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग और महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित तथा निर्धन हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने वाले परिवारों में कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हों। इसी प्रकार विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि लाभार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाएं हों।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें अतिरिक्त भूमि दी गई हो, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर हों या विकलांग हों। छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, खेतिहार मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33 प्रतिशत तथा जनजातीय परिवारों को 50 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाती है।

क्रियान्वयन और उपलब्धियां

यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाता है। प्रत्येक जिले में इन एजेंसियों की सहायता, मार्गदर्शन, परामर्श आदि के लिए प्रबन्ध संस्था बनी हुई है, जिसमें क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं के प्रतिनिधि रखे जाते हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तर की एक समिति भी होती है। निचले स्तर पर विकास खंड के कर्मचारी कार्यक्रम पर अमल करते हैं।

लाभार्थियों का चयन बड़ी सावधानी से किया जाता है। 4800 रु. तक वार्षिक आय वाले परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे पहले उन परिवारों पर ध्यान दिया जाता है, जिनकी आय 3500 रुपये सालाना तक है। सम्बंधित परिवारों की आय, उन्हें दी जाने वाली सहायता की किस्म तथा उपलब्ध की जाने वाली सहायक सेवाओं के बारे में निर्णय निचले स्तर पर ही किए जाते हैं। जिन परिवारों को सहायता के योग्य पाया जाता है, उनकी सूची संबंधित ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाती है और ग्राम सभा उसका अनुमोदन करती है। कार्यान्वयन को सुचारू तथा अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से लाभार्थियों को भी सहभागी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए खण्ड स्तर पर तथा पंचायत स्तर पर लाभार्थी समितियां गठित की गई हैं, जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुधारने के बारे में सुझाव देती हैं।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अत्यंत उपयोगी भूमिका है। अतः उनके साथ तालमेल के लिए केन्द्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसी तरह राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर भी इस काम के लिए सलाहकार समितियां बनाई गई हैं। इस कार्यक्रम को लागू करने में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है। समय-समय पर किए गए मूल्यांकनों एवं सर्वेक्षणों से इसकी अनेक त्रुटियों का पता चला, जिन्हें ठीक करने के भी उपाय किए गए। फिर भी पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को सहायता दी गई। सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में एक करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों को सहायता दी गई। इस पर 2272.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्तीय संस्थाओं ने कुल 3682.82 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए। 1985-86 से 1988-89 (दिसम्बर, 1988) तक की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा निम्न तालिका में उपलब्ध है:

वर्ष	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धियां (लाखों में)	अनुसूचित/ जनजाति (प्रतिशत)	महिलाएं %	खर्च (करोड़ रु. में)	ऋण (करोड़ रु. में)	पूंजी निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1985-86	24.70	30.61	43.22	9.89	441.10	730.16	1171.26
1986-87	35.00	37.47	44.83	15.13	613.38	1014.88	1628.26
1987-88	39.64	42.47	44.71	19.53	727.44	1175.35	1902.79
1988-89 दिसम्बर 88	31.94	23.62	45.42	22.47	490.79	762.43	1253.22
कुल	131.28	134.17	44.53	16.63	2272.71	3682.82	5955.53

कार्यक्रम प्रारम्भ होने के समय से दिसम्बर, 1988 तक कुल 2.95 करोड़ परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई। इनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिशत 41.38 तथा महिलाओं का प्रतिशत 16.22 है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है लाभान्वित होने वालों में आधी से अधिक संख्या कमजोर वर्गों के लोगों की है। इस कार्यक्रम पर कुल 10278 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

1988-89 के दौरान 31.94 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया तथा दिसम्बर, 1988 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 23.62 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके

थे। जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने दिसम्बर 1988 तक अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए। पिछले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 687.95 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए जिसमें से 490.79 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1988 तक खर्च हो चुके थे और 762.43 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। इस अवधि में लाभान्वित होने वालों में 45.4 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के परिवार और 22.47 प्रतिशत महिलाएं थीं।

उपयोजनाएं

छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि समन्वित ग्रामीण विकास की सुविधाओं का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए महिलाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें आय बढ़ाने के उपयुक्त अवसर सुलभ कराने का निश्चय किया गया। इसके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के घटक के रूप में सितम्बर, 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसके अंतर्गत कुछ चुने हुए परिवारों की 15-20 महिलाओं के दल बनाए जाते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें यूनीसेफ भी सहायता देता है। प्रत्येक दल के लिए एक सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था की जाती है जहां महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और आपसी सहयोग से आर्थिक गतिविधियां चलाती हैं।

इसी प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक और उपयोजना ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की है। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य गांवों के 18 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे कृषि से सम्बंधित गतिविधियों, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में खुद अपना काम धंधा चला सकें। ये दोनों उपयोजनाएं अत्यंत सफल रही हैं तथा 379641 महिलाओं और 1640679 ग्रामीण युवकों को इनके अंतर्गत आय बढ़ाने तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सुधार और विस्तार

चूंकि यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें समय-समय पर पैदा होने वाले दोषों का पता लगाने तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण कराए गए हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, योजना आयोग तथा वित्तीय प्रबन्ध और आर्थिक अनुसंधान संस्थान जैसे देश के प्रमुख आर्थिक संगठनों द्वारा किए गए। इन सभी मूल्यांकनों में कार्यक्रम की बुनियादी नीति तथा गरीबी दूर करने में इसकी उपयोगिता की पुष्टि की गई। किन्तु लगभग सभी अध्ययनों में लाभार्थियों के चयन में त्रुटियां, अपर्याप्त पूंजी निवेश और आधारभूत सुविधाओं की कमियों की ओर संकेत किया गया। अक्तूबर, 1985 से इस कार्यक्रम का मासिक समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है। समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष सम्बंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को भेज दिए जाते हैं। इन मूल्यांकनों तथा सर्वेक्षणों में जो दोष सामने आए, उन्हें दूर करने की दिशा में निरन्तर प्रयास होते रहते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इन अध्ययनों के संदर्भ में और उपयोगी बनाने के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं। इन उपायों का लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभों को पुष्ट करना तथा स्थायी बनाना है, ताकि सहायता पाने वाले परिवार कुछ समय बाद पुनः गरीबी के अंधेरे में न चले जाएं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथा क्रांतिकारी उपाय हैं सामूहिक बीमा योजना। लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत अप्रैल, 1988 से सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक परिवार का 3000 रुपये का बीमा किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुगनी राशि मिलती है। इस योजना से प्रतिवर्ष 38 से 40 लाख लोगों को फायदा होगा।

इसके अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गतिविधियों में विस्तार भी किया गया है। फल तथा खाद्य पदार्थ संसाधन इकाइयां स्थापित की गई हैं, तथा मछली पालन, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, रक्षा सेवाओं, आपरेशन ब्लैक बोर्ड एवं समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की सप्लाई जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हीरे तराशने, वस्त्रों की सिलाई, पुर्जे जोड़कर इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुएं तैयार करने जैसे आधुनिक काम भी प्रायोगिक आधार पर हाथ में लिए गए हैं।

एक और महत्वपूर्ण कदम इस कार्यक्रम की गतिविधियों को व्यावसायिक रूप देने की दिशा में उठाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत जो काम होता है या उत्पादन होता है, उनका प्रबन्ध सुव्यवस्थित तथा व्यावसायिक नहीं होता हैं, उनका प्रबंध सुव्यवस्थित तथा व्यावसायिक नहीं होता। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में

(शेष पृष्ठ 20 पर)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक दशक

मनोहर पुरी

पिछले एक दशक से सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से देश के ग्रामीण अंचलों में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए मुहिम चला रखी है। मुख्य रूप से भारत की जनता गांवों में निवास करती है। फलतः कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। देश की प्रगति हर दृष्टि से कृषि की उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे महान नेताओं ने प्रारंभ से ही इस तथ्य को स्पष्ट रूप से चिह्नित कर दिया था कि जब तक भारत की ग्रामीण जनता की उन्नति नहीं होती तब तक भारत की प्रगति की बात तक करना निरर्थक है। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में आगे बढ़ने का संदेश पूरे देश को हर मंच से दिया। उनका एक ही मूल मंत्र था कि यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो गांवों को समृद्ध बनाना ही होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान का नारा देकर उन्हें देश की सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र माना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गांवों को आधुनिकीकरण की रोशनी प्रदान करने का अथक प्रयास किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 21वीं सदी के गांवों की परिकल्पना मन में संजोए नित नई योजनाओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में ग्रामीण अंचलों की उन्नति के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। 1969 तक देश का प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित हो चुका था। इस कार्यक्रम द्वारा गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसके सुखद परिणाम भी सामने आए फिर भी बहुत कुछ करना शेष रह गया। भारत के लगभग 5,75,000 गांवों की स्थिति को पूरी तरह से सुधारने के लिए अभी बहुत से कार्य करने शेष थे। अनेकानेक प्रयास भी ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी का कलंक मिटा पाने में सफल नहीं हुए थे। इसी कारण छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाते हुए यह निर्णय किया गया कि प्रगति के लाभों को ऊपर से नीचे तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी पर सीधा प्रहार किया जाए। इसी कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना का मूल आधार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बनाया गया। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि गरीबी पर सीधा प्रहार करना तब तक न तो जारी रखा जा सकता है और न ही उससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की गति मंद है और ऐसे विकास के लाभ असमान रूप से वितरित हो रहे हों। इसके लिए आवश्यक है कि साधन और समानताओं पर पूरा ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था की गति में तेजी लाई जाए और उत्पादन में निरन्तर बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा जाए।

अब तक विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति को सुधारना था। फलतः आर्थिक पक्ष एक प्रकार से अनदेखा रह गया था। इस कमी को दूर करने के लिए इस दशक के प्रारम्भ से ही छोटे एवं सीमान्त किसानों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के कार्यक्रम शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, रेगिस्तान एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखे की आशंका वाले इलाकों की स्थिति में सुधार लाने से संबंधित कार्यक्रमों को समय-समय पर लागू किया जाता रहा परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या को गरीबी के शिकंजे से छुटकारा दिलाने में सफलता नहीं मिल पाई। वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक समृद्धि का समुचित लाभ गांव के गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने औद्योगिक विकास और ग्रामीण विकास में समन्वय करने के प्रयास किए। अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ।

देश में चहुंमुखी विकास के लिए इस बात की आवश्कयता समझी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सर्वहारा अर्थात गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। फलतः मार्च 1976 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम को आज से एक दशक पूर्व देश के 2300 विकास खंडों में औपचारिक रूप से लागू किया गया और गांधी जयन्ती के अवसर पर, 2 अक्तूबर 1980 को देश के समस्त 5,011 विकास खंडों तक इसका विस्तार कर दिया गया। ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं का भी इसी कार्यक्रम में समन्वय कर दिया गया ताकि इस कार्यक्रम को समग्रता प्रदान की जा सके।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसान, कृषि एवं गैर-कृषि मजदूर एवं दस्तकार आते हैं। इन निर्धन लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा आवश्यक धन उपयोगी आर्थिक क्रियाकलापों में विनियोजित किया जा रहा है। विनियोजन का आकार स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप निश्चित किया जाता है। अंचल स्तर पर कार्यक्रम बना कर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। ग्रामीण विकास एजेंसी इसे अपनी टिप्पणी के साथ राज्य स्तर की समन्वय समिति को सौंप देती है। प्रस्ताव को स्वीकृति देने का अन्तिम अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य स्तर की समन्वय समिति कार्यक्रमों पर निरन्तर नजर रखती है और आवश्यकता होने पर उनका पुनरावलोकन भी करती है। अंचल विकास पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की देखरेख में कार्यक्रम को लागू करते हैं।

देश से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का मुख्य आधार समन्वित ग्रामीण विकास की सफलता को माना गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 88 अरब रुपये की लागत से तीन करोड़ के करीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसमें से लगभग 1.10 करोड़ परिवारों को सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही लाभान्वित किया जा चुका था। इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों में लगभग 40 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1186.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 1988-89 के लिए आबंटित राशि को भी यदि इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो योजना के प्रथम चार वर्षों में अनुमानतः 1175 करोड़ रुपये व्यय हुए। अब तक इस कार्यक्रम पर व्यय होने वाली कुल राशि में बैंकों का योगदान 5600 करोड़ रुपये का है। लगभग 2200 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने और महिलाओं तथा बाल विकास से संबंधित गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम एक-दूसरे के पूरक के रूप में चलाए जा रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हर संभव प्रयास से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण जनता को अपने लिए रोजगार के अवसर स्वयं अपनी ही क्षमता से उपलब्ध हों। इसके लिए उन्हें आवश्यक साधन प्रदान करके उनके भीतर छिपी क्षमताओं को सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी कोशिश भी है कि गांव के लोगों को अपना रोजगार कमाने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े क्योंकि यदि ग्रामीण जनता को अपने घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे तो शहरों की ओर उनकी दौड़ समाप्त हो जाएगी। इससे जहां शहरों पर अतिरिक्त आबादी का दबाव नहीं पड़ेगा वहीं भारतीय हस्तकलाएं और घरेलू उद्योग धंधे पनपेंगे और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। इन्हीं के माध्यम से गांधीजी का ग्रामीण विकास का सपना पूरा हो सकेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से ऋण, सरकारी आर्थिक सहायता और रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण को रोजगार और मजदूरी देने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को पूरी लागत पर अनुदान प्राप्त होता है। इसका मूल उद्देश्य उत्पादक साधन तैयार करना है। सभी छोटे किसानों के लिए साधन की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। एक ही परिवार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान रूप में 3000 रुपये तक प्राप्त होते हैं। सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण शिल्पकारों के लिए 33.5 प्रतिशत तक और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को 5000 रुपये तक का अनुदान और 50 प्रतिशत पूंजीगत लागत के रूप में दिए जाते हैं। बैंकों को भी परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे परिवारों को 5000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएं। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए प्रतिभूत मुक्त ऋणों की सीमा अब 5000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दी गई है। इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास ऋणों के लिए जमानत पर जोर न दिया जाए। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाता रहा है। ऋण की शर्तों और रुपया वापिस लौटाने के समय को युक्ति संगत बनाने के भी उपाय किए जा रहे हैं ताकि उत्पादकता में बढ़ोतरी होने से सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में समर्थ हो सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन वर्ग को सहायता इस ढंग से दी जा रही है कि पूंजी का कम से कम अपव्यय हो। ऋणी पर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले पूंजी के उत्पादी उपयोग के प्रति उसे प्रेरित किया जा सके। इस बात की भी व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत है, कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार के विभिन्न सदस्य परिसम्पत्तियों का उपयोग विभिन्न योजनाओं में कर सकें ताकि शनैः शनैः ऋण की राशि को अपने अधिक से अधिक लाभ के लिए प्रयोग में ला सकें और अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आय अर्जित कर सकें। यदि इस प्रकार उनकी आय में वृद्धि होगी तो ऋण अदायगी भी उनके लिए

सहज होती जाएगी। उनकी आर्थिक दशा में सुधार से ही वे जीवन को नए सिरे से जीना सीख सकते हैं और अपने परिवार के रहन-सहन, खान-पान, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा मनोरंजन पर ध्यान दे सकते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाना है। सातवीं योजना के प्रारंभ में 22.22 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। यह संख्या कुल ग्रामीण आबादी का 39.9 प्रतिशत थी। यह परिकल्पना की गई है कि सातवीं योजना के अंत तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत घट कर 28.5 प्रतिशत रह जाएगा और वर्ष 1994-95 तक दस प्रतिशत की और कमी होगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि 21वीं सदी में प्रवेश के समय देश से गरीबी का कलंक हमेशा-हमेशा के लिए और पूरी तरह समाप्त हो जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में यह अनुभव किया गया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे। अतः प्रयोग के आधार पर, 50 खंडों में, सितम्बर 1982 में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसके अच्छे परिणाम सामने आए और महिलाओं की आय में वृद्धि होती दिखाई देने लगी। यह योजना महिलाओं के लिए आय सृजन गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को व्यक्तिगत रूप में एवं उनके समूहों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस धन से वे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य काम धन्धे प्रारम्भ करके अपनी आय का स्रोत बनाती हैं। कच्चे माल की खरीद, विपणन और बच्चों की देखरेख के लिए प्रत्येक समूह को 15000 रुपये दिए जाते हैं। इस समय यह कार्यक्रम देश के 106 जिलों में चल रहा है। दिसम्बर 1987 तक 3085 समूहों का गठन किया जा सका जबकि लक्ष्य 7500 समूह बनाने का था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन यह परिकल्पना की गई है कि इससे लाभ उठाने वालों में कम से कम तीस प्रतिशत महिलाएं हों। चालू वर्ष के दौरान जनवरी 1988 तक यह उपलब्धि 16.62 प्रतिशत थी। छठी योजना में इस कार्य के लिए 15.60 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्र और राज्यों के समान अंश की भागीदारी थी। इसके अतिरिक्त 5.40 करोड़ रुपये की सहायता यूनीसेफ से प्राप्त हुई। इस योजना के तहत महिलाओं के समूहों को आर्थिक और अन्य गतिविधियां चलाने के लिए केन्द्रीय स्थान सुलभ करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण कराया जा रहा है। उपकरणों के लिए प्रति केन्द्र 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान यूनिसेफ के सौजन्य से है।

इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक वानिकी के अधीन पट्टे महिलाओं के नाम दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम की दृष्टि से छठी योजनावधि को परीक्षण के समय की संज्ञा दी जा सकती है। इस अवधि में यह कार्यक्रम लोगों की जानकारी में आया, समझा गया और स्थिर भी हुआ। इसमें जो कमियां अनुभव की गई उन्हें सातवीं योजना में दूर करने के प्रयास पहले से ही प्रारंभ कर दिए गए हैं। अनेक प्रकार के सुझाव भी सरकार के पास हैं जिनमें इस कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के संबंध में सलाह दी गई है। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के दौरान अधिकांश लोगों ने इसे खुले दिल से सराहा है। इसके सैद्धांतिक पक्ष को बहुत सुदृढ़ पाया गया है। परन्तु एक दशक बीत जाने पर भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई सुचारु आयोजना तंत्र तैयार नहीं हो पाया। अभी भी कुछ राज्यों को छोड़ कर, जिला एवं खंड स्तर पर बनाई गई योजनाओं का केवल प्रचार करके ही कार्य को पूरा हुआ मान लिया जाता है उस पर ठोस रूप से कोई कार्य नहीं होता। अनेक स्थानों पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि ऋण योजनाओं और पैसे के वास्तविक वितरण के मध्य कोई तालमेल नहीं था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन और वस्तु परक लक्ष्य प्रति खंड समान रूप से निर्धारित किए गए थे जिनमें गरीबी के अनुपात और जनसंख्या के आकार पर भी विचार नहीं किया गया। अतः कुछ मामलों में, भले ही किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ही सही, कुछ अपात्र परिवार भी इन कार्यक्रमों के लिए चुन लिए गए। इससे मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम हुई। इस प्रकार पहचान से लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत तक रही। गलत पहचान के लिए, मुख्य रूप से उस परिवार सूची पर निर्भरता, को दोषी माना जाता है जो आय की अपेक्षा जोतों को आधार बना कर तैयार की गई थी। सर्वेक्षण और चयन प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों को सम्बद्ध नहीं किया गया था। गलत पहचान का एक अन्य कारण था कि उन लोगों की बैंक ग्राह्यता को अधिक समझा गया जिनका आधार परिसम्पत्ति था। कुछ मामलों में सरकारी अधिकारी निहित स्वार्थों के साथ साठ-गांठ करने के दोषी पाए गए। इन अधिकारियों ने पात्रता के अतिरिक्त अन्य कारणों से गलत परिवारों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए।

एक बार ऋण देकर यह मान लिया गया कि लाभग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया जबकि उसे प्राप्त धन का

उपयोग तक करने का अनुभव नहीं था। कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले परिवारों को दी गई राशि को उत्पादी बनाने के लिए, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध करना भी आवश्यक था। ऐसे लाभग्राहियों का संबंधित बिक्री संस्थानों से आवश्यक तालमेल नहीं हो पाया। लाभग्राही को दी गई राशि का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा उत्पादित माल को मंडियों तक पहुंचाया जाए। खंड तथा जिला स्तर पर इस समय उपलब्ध कर्मचारी इसके कार्य के लिए न तो पर्याप्त हैं और न ही सक्षम। इस कार्य के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ पर्याप्त तालमेल बिठाना भी अनिवार्य होता है। इस समय ग्रामीण विकास निधियों के दस प्रतिशत तक को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उपयोग में लाया जा रहा है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लोगों को लाभ पहुंचने की बात है, उनकी पसंद नापसंद का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। उनके लिए गतिविधियां निश्चित करते समय उनकी रुचि को विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिल रहा होता है फलतः वे चुपचाप हर बात को स्वीकार करते रहते हैं। रुचि अभाव के कारण कार्य में विशेष प्रगति नहीं हो पाती। लाभग्राही मुख्य रूप से भूमिहीन श्रमिक होते हैं अतः उनके लिए गतिविधियों का चयन बहुत ही संकुचित और छोटे दायरे में हो पाता है इसीलिए केन्द सरकार के समन्वित ग्रामीण विकास अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए लाभार्थियों में विभिन्न व्यवसायों को अपनाने वाले निर्धन ग्रामीण सम्मिलित किए जाने चाहिए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी गई गतिविधियों में पशुपालन और मुख्य रूप से दूध देने वाले पशुओं के पालन के प्रति विशेष पक्षपात बरता गया दिखाई देता है। देखने में यह कार्य बहुत सुगम और अधिक आय देने वाला लगता है। इसमें रोजगार की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं परन्तु इसकी अपनी कुछ विशेष कमियां हैं। देश में अच्छी गुणवत्ता वाले पशुओं की पर्याप्त कमी है। इनका पालन पोषण वैज्ञानिक ढंग से किए जाने का प्रचलन अभी हमारे गांवों में नहीं है। पशुओं के मूल्य में अवास्तविक बढ़ोतरी तथा चारे, स्वास्थ्य और उनकी देखरेख और विपणन के लिए आवश्यक ढांचे का अभाव भी इस पक्ष की असफलता के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

अनेक विद्वानों का मत है कि गरीबी दूर करने का कोई पृथक कार्यक्रम बनाया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य विकास को गति देना होना चाहिए। इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य एक अधिक सार्थक व्यवस्था का सृजन होना चाहिए। इन कार्यक्रमों को मात्र गरीबी दूर करने के लिए ही लागू नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन कारणों के मूल पर प्रहार करना होना चाहिए जो गरीबी का कारण हैं, क्योंकि गरीबी को तो कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है परन्तु यदि गरीबी को जड़ से समाप्त करना है, तो अर्थव्यवस्था में ही ऐसे उपाय निहित करने होंगे जिनसे गरीबों को परिसम्पत्तियों के साथ ऐसे हुनर मिलें जो उन्हें स्थायी रूप से जीविका प्रदान कर सकें। इस सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रो. एम. एल. दांतवाला ने कहा है कि, "व्यक्तिगत रूप मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जिसमें प्रत्येक नागरिक के पास अपनी व्यक्तिगत, सहकारी अर्थात् संयुक्त परिसम्पत्ति/अथवा हुनर होना चाहिए जो इसे एक बेहतर जीवन प्रदान कर सके और मैं एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के विचार का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें नागरिक के पास न तो परिसम्पत्ति है और न ही कोई हुनर बल्कि वह अपने शारीरिक श्रम को किसी निजी अथवा सरकारी एजेंसी को बेचता है। वास्तव में यह मानवीय संसाधन विकास के प्रश्न का निचोड़ है। एक विकसित समाज/अर्थव्यवस्था जिससे मानव विकसित नहीं है, अच्छा नहीं होता।"

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए एक मार्गदर्शन सेवा प्रारम्भ किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि ग्रामीण युवाओं को लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की पूरी-पूरी जानकारी मिल सके। इन योजनाओं के तहत उनके लिए जो अवसर उपलब्ध हों उनके संबंध में वे विस्तार से जान कर रुचि के अनुरूप कार्य चुन सकें। रोजगार कार्यालय अभी तक शहरों में ही स्थापित किए गए हैं गांवों में भी इनकी आवश्यकता को स्वीकारा जाना चाहिए। इतना ही नहीं इनका कार्य केवल बेरोजगारों को पंजीकृत करना और मजदूर-बाजार सूचना सेवा के रूप में काम करना ही न हो बल्कि ये रोजगार चाहने वालों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करें।

इस कार्यक्रम को बीमे का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम और उसकी चार कम्पनियां परिसम्पत्तियों का बीमा करती हैं। इसके लिए लाभार्थी को रियायती दरें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पशु बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित किया गया है और दावा संबंधी नियमों को सरल बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा लाभर्थियों के लिए भी सामूहिक बीमा योजना बनाई गई। इस योजना में 18 से 60 वर्ष तक के सभी लाभार्थी सम्मलित किए गए हैं। बीमाकृत लाभार्थी की मृत्यु होने की दशा में उसके

परिवार वालों को 3000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर यह राशि दुगनी कर दी जाएगी। ऐसे दावों का निपटान एक पखवाड़े में हो जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए केवल 4800 रुपये की आय प्रति परिवार प्रति वर्ष निश्चित की गई है जबकि गरीबी की रेखा का मानक 6400 रुपये की आय को माना गया है। परिसम्पत्ति के वितरण में सुविधा देने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण हेतु बैंकों ने सप्ताह में एक दिन नियत किया है, यद्यपि ऋणों के आवेदन पत्रों की जांच-पड़ताल और उनकी स्वीकृति का कार्य निरन्तर चलता रहेगा। विभिन्न केन्द्रों के परस्पर तालमेल और सूचना प्रेषण के लिए जिला विकास एजेंसियों में कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण विकास सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इनसे जिला स्तर पर प्रगति व कार्यान्वयन की गुणवत्ता की परख की जा सकेगी। इसके माध्यम से जन साधारण और जन प्रतिनिधियों को अपेक्षित जानकारी अधिक सुविधापूर्ण ढंग से मिल सकेगी। इसी पर आधारित जिला स्तर पर आयोजन का कार्य अधिक सुगम और सार्थक हो जाएगा जिससे ऐसे कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सरकार को इस बात के सुझाव बार-बार दिए गए हैं कि ऐसे सृजनात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक चुस्त ढांचे के साथ जोड़ा जाए, जो अच्छी सूचना प्रणाली की सहायता से, बिना किसी प्रकार के पक्षपात एवं दबाव में आए हुए देश के आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध हो। ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिज्ञों और अफसरों पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को यदि इनके साथ जोड़ा जाएगा तो बहुत जल्दी वांछित परिणाम सामने आएंगे और योजनाओं के लाभ केवल फाइलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। व्यवहार में उन्हें अनुभव किया जा सकेगा। जब देश का गरीब वास्तव में सुखी होगा, गांधीजी के शब्दों में जब वास्तव में दरिद्र नारायण की देखभाल कर ली जाएगी, तभी भारत दुनिया के सभ्य समाज में अपना मस्तक ऊंचा करके चल पाएगा।

82, साक्षर अपार्टमेंट्स,
ए-3, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063

(पृष्ठ 15 का शेष)

व्यावसायिक संस्थानों पर 15 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं, जो कार्यक्रम की गतिविधियों को परियोजना का रूप देने तथा उन्हें व्यावसायिक आधार पर चलाने में मदद करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं के विपणन को सुचारू बनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन वस्तुओं की बिक्री व्यापारिक आधार पर करने के लिए एक अलग सैल बनाया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों तथा सबसिडी के भुगतान और वसूली की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसने इस सम्बन्ध में कई सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुसार कागजी कार्रवाई को काफी हद तक कम कर दिया गया है और लाल फीताशाही में लगने वाला समय भी घट गया है। बैंकों को भी मामले जल्दी निपटाने के नए निर्देश जारी किए गए हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के इस सफल क्रियान्वयन से प्रोत्साहित होकर ही सातवीं योजना के दौरान में गरीबी हटाने की योजना प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु माना गया और आठवीं योजना मसौदे में भी गरीबी उन्मूलन का यह अभियान जारी रखने का संकल्प प्रकट किया गया है। जवाहर रोजगार योजना का शुभारम्भ इस दिशा में प्रगति का एक और सुखद संकेत है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने सरकारी तंत्र को ऐसा अनुभव और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया है, जिससे गरीबी दूर करने के मौजूद तथा भविष्य में चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं को सफलता पूर्व क्रियान्वित करना सरल हो गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत के देहात में खुशहाली लाने का अब तक का सबसे विशाल और सफलत अभियान है।

सी-7-134 ए. केशव पुरम (लारेंस रोड),
दिल्ली-110035

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—अवलोकन एवं निराकरण

सुमित्रा चौधरी

महात्मा गांधी का चिन्तन था कि "असली भारत गांवों में ही निवास करता है और इसलिए हमारी राष्ट्रीय प्रगति ग्रामांचल के आर्थिक-सामाजिक विकास में ही निहित है।" समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांधीजी की इसी महान भावना का प्रतीक स्वरूप है। इस कार्यक्रम में अन्त्योदय के सिद्धान्त का परिपालन करके गरीबों में भी सबसे अधिक गरीबों को पहले चुनकर लाभार्थियों का निर्धारण किया जाता है। इसे छठी योजना में सम्पूर्ण देश के 5011 विकास खण्डों में लागू किया गया तथा यह कार्यक्रम सातवीं योजना में भी लागू है। राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चलाए जाने वाला यह पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को ऋण सहायता के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाना है, ताकि ये स्थायी रोजगार साधन प्राप्त करके हमेशा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। प्रस्तुत लेख राजस्थान के उदयपुर जिले में सम. ग्रा. वि. का. के अधीन लाभान्वित परिवारों से प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा किए गए अध्ययन के मूल तथ्यों पर आधारित है।

इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए 60 प्रतिशत लाभार्थियों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों संबंधी कोई जानकारी नहीं है अर्थात् जिन लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, वे यह जान तक नहीं पाते कि इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शाब्दिक अर्थ तक क्या है। इस कार्यक्रम में चयन का आधार वार्षिक आय का गरीबी रेखा से नीचे होना है। लेकिन कार्यक्रम का लाभ पूर्णतः लक्षित वर्ग को न मिलकर ऐसे लोगों को भी मिला है, जो अपेक्षाकृत कम गरीब हैं और यह प्रवृत्ति गांव के विकास क्रमानुसार दिखाई देती है। यह तालिका 1 से स्पष्ट है।

गांव के विकास का स्तर बढ़ने के साथ ही साधन विहीन वर्ग के लिए इस कार्यक्रम में चयन की संभावनाएं कम होती गई हैं, जो कि कार्यक्रम का अन्यायपूर्ण पक्ष है। लिंग के आधार पर भी इस कार्यक्रम में भेदभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है अर्थात् पुरुषों का चयन 92 प्रतिशत हुआ है और महिलाओं का मात्र 8 प्रतिशत चयन किया गया है।

जहां तक प्रति व्यक्ति औसत ऋण का सवाल है, यह अवश्य ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को अधिक प्राप्त हुआ है, जो कि इस कार्यक्रम का एक प्रशंसनीय पहलू है। 6400 रुपये (गरीबी की सीमा रेखा) से ऊपर वार्षिक आय-स्तर के लाभार्थियों का प्रति व्यक्ति औसत ऋण सबसे कम है। यह स्थिति तालिका 2 से स्पष्ट है।

इसके अलावा, एक जैसे ऋण व्यवसाय क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति औसत ऋण गांव के घटते विकास क्रमानुसार कम उपलब्ध कराया गया है, जो कि तालिका-3 से स्पष्ट होता है।

सम. ग्रा. वि. का. के तहत ऋण के लिए आवेदन किए जाने के 7 से 15 दिन के भीतर ऋण प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन 3/4 से भी अधिक लाभार्थियों को निर्धारित समय में ऋण की प्राप्ति नहीं होती तथा गांव जितना अधिक पिछड़ा होता है, वहां ऋण की प्राप्ति उतनी ही विलम्ब से होती है।

इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न रोजगार इकाई योजनाओं के लिए जो ऋण निर्धारित किए गए हैं, वे स्वयं में अपर्याप्त हैं तथा लाभार्थियों को यह अपर्याप्त निर्धारित ऋण राशि भी पूरी की पूरी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जांच के लिए अगले पृष्ठ पर तीन उदाहरण दिए गए हैं।

इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण ऋण राशि उपलब्ध न कराने की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। ऋण राशि अपर्याप्त होने पर या तो सम्पूर्ण राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी जाती है, या फिर कमजोर आर्थिक इकाई खरीदी जाती है। अपेक्षाकृत कम पिछड़े गांवों के लाभार्थी प्राप्त ऋण राशि को प्रायः अपने पुराने व्यवसाय में ही नियोजित करते हैं, फलतः उनके लिए अपर्याप्त ऋण का कोई विशेष हानि कारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अधिक पिछड़े हुए गांवों के लाभार्थी प्रायः कृषि या पशु पालन में ऋण राशि का विनियोजन करते हैं। ऐसे में अपर्याप्त ऋण से खरीदा गया कमजोर पशु कुछ समय बाद ही उत्तम रख रखाव के अभाव में मर जाता है तथा कृषि क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती।

(1)	भैंस इकाई योजना के तहत दो भैंसों (6-7 लीटर दूध प्रतिदिन देने वाली)	
	की निर्धारित कीमत	6180 रु.
	दो भैंसों की.....बाजार कीमत	7180 रु.
	लाभार्थी को उपलब्ध कराए गए मात्र	2000 रु.
(2)	डीजल पंपसेट योजना के तहत निर्धारित कीमत	6500 रु.
	बाजार-कीमत	7430 रु.
	लाभार्थी को उपलब्ध कराये गये	5000 रु.
(3)	दर्जी की दुकान योजना के तहत निर्धारित राशि	1400 रु.
	आवश्यक राशि	1400 रु.
	लाभार्थी को उपलब्ध कराए गए	1200 रु.

तीनों इकाइयों के लिए कार्यक्रम में निर्धारित राशि, बाजार कीमत एवं उपलब्ध कराई गई राशि सत्र 1985-86 के आधार पर ली गई है।

पिछड़े गांवों में पानी, पशु-चिकित्सालय, बाजार, यातायात आदि का अभाव विद्यमान है। ऐसे में आवश्यक सामग्री प्राप्ति के लिए तथा उत्पादित सामग्री बिक्री के लिए कठिनाई बनी हुई है। 3/4 से अधिक लाभार्थी ऋण व्यवसाय से हुए उत्पाद का विक्रय गांव में ही करते हैं। 3/4 लाभार्थियों को उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसका प्रमुख कारण मांग कम होना तथा एक ही प्रकार के ऋण व्यवसाय में अधिक लोगों का लिप्त होना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार साधन के रूप में जिन आर्थिक इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, यदि उनकी जीवन योग्यता को परखा जाए, अर्थात् कुल आगमों में से समस्त लागतों (श्रम लागत व ऋण किस्त सहित) को घटाकर देखा जाए, तो मासिक 100 रु. की शुद्ध बचत हो सकती है, जिसे परिवार के उपभोग स्तर में वृद्धि तथा कोषों के रूप में पूंजी-निर्माण के लिए (ग्राम्य परिवेश में) पर्याप्त माना जा सकता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि ऋण व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रशासन द्वारा विचार तो किया गया है, लेकिन व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक सामग्री की उचित मूल्य पर सरलता से उपलब्धता, उत्पाद की पर्याप्त मांग, विक्रय की समुचित व्यवस्था, यातायात, विक्रेता की संख्या आदि तत्वों को गहराई से नहीं लिया गया है।

कार्यक्रम में तहत प्राप्त ऋण से शुरू किए गए व्यवसाय से आधे से अधिक लाभार्थियों की आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है इसका मूल कारण आधे से अधिक लाभार्थी अपने पुराने या परम्परागत व्यवसाय क्षेत्र में ही ऋण राशि का विनियोग करते हैं। चूंकि गांवों में मांग में परिवर्तन नहीं होता है तथा यातायात का अभाव विद्यमान रहता है, अतः उपार्जन में अंतर नहीं पड़ता, हां नया व्यवसाय शुरू करने वालों की आय में वृद्धि की संभावना जरूर दिखाई देती है। पुरुष लाभार्थियों की तुलना में महिला लाभार्थियों का आय वृद्धि अनुपात अधिक तथा अपेक्षित आय वृद्धि पर गांव के विकास स्वर का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तालिका 4 से यह स्पष्ट है।

80 प्रतिशत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान संबंधी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अधिकतर लाभार्थी बैंक से दुबारा ऋण प्राप्त करने की इच्छा से तथा बैंक के दबाव से पुनर्भुगतान समय पर करते हैं, न कि आय वृद्धि के कारण। उल्लेखनीय है कि सम. ग्रा. वि. का. के प्रायः सभी लाभार्थी यह मानते हैं कि ऋण का भुगतान न करने पर धर्म की दृष्टि से, राजनैतिक तथा आर्थिक साख के मामलों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि समय पर ऋण का पुनर्भुगतान न कर पाने का प्रमुख कारण आय की अपर्याप्तता ही है, लाभार्थी द्वारा सरकारी ऋण न चुकाने की भावना कतई नहीं।

कुछ सुझाव

1. किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम के प्रति सचेतनता और पूर्ण जानकारी का होना अत्यावश्यक है। अतः पहली आवश्यकता इस बात की है कि कार्यक्रम के तहत चयनित अशिक्षित लाभार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित किया जाना अनिवार्य शर्त हो तथा उन्हें समय-समय पर कार्यक्रम की गतिविधियों से भली-भांति परिचित करवाया जाए।

2. ग्रामीण तरुण वर्ग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु इनके चयन को प्राथमिकता दी जाए और आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये स्वयं की योजनानुसार व्यवसाय

तालिका-1 (सम्पत्ति अनुसार लाभार्थी—चयन)

लाभार्थी/गांव	विकसित गांव	अल्पविकसित गांव	पिछड़ा गांव	समग्र
सम्पत्ति की अच्छी स्थिति	40%	13%	8%	20%
थोड़ी सम्पत्ति	32%	52%	36%	40%
सम्पत्ति विहीन	28%	35%	56%	40%

तालिका-2 (आय अनुसार औसत ऋण)

आय स्तर (वार्षिक)	0-2250	2251-3500	3501-4800	4801-4600	6400 से ऊपर
औसत प्रति व्यक्ति ऋण (रु.)	2400	2652	2170	2140	1700

तालिका-3 (व्यवसाय क्षेत्र अनुसार ऋण)

क्षेत्र/गांव	विकसित गांव	अल्प विकसित गांव	पिछड़ा गांव
कृषि	—	3875 रु.	3118 रु.
पशुपालन	2767 रु.	2194 रु.	1950 रु.
व्यापार	1633 रु.	1467 रु.	1000 रु.

तालिका-4 (आय-वृद्धि में लाभार्थियों का अनुपात)

आय-वृद्धि/गांव	विकसित	अल्प विकसित	पिछड़ा हुआ	समग्र
1. पूर्व व्यवसाय में विनियोजन से	11%	29%	14%	17%
2. अन्य व्यवसाय शुरू करने पर	50%	50%	67%	54%
3. पुरुषों का आय वृद्धि में अनुपात	25%	40%	40%	35%
4. महिलाओं का आय वृद्धि में अनुपात	75%	100%	100%	83%
5. अपेक्षानुसार आय-वृद्धि	12%	4%	4%	7%

का संचालन करके परिवार तथा गांव के विकास में महती भूमिका निभा सके।

3. ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन व्यक्तियों के शक्तिशाली संगठन का निर्माण अनिवार्य है। यह संगठन एक ओर भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव डालेगा, तो दूसरी ओर समूह के रूप में कार्य करते हुए समाज के निर्बल वर्ग को ग्रामीण विकास योजना को पूर्ण लाभ दिला सकेगा और तभी कार्यक्रम का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंच सकेगा।

(शेष पृष्ठ 27 पर)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दस वर्ष

जे. पी. यादव

भारत की लगभग तीन-चौथाई जनता गांवों में निवास करती है। अतः पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2 अक्तूबर 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' की शुरुआत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तत्पश्चात् 'लघु कृषक विकास एजेंसी', 'सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजनाएं', 'रोजगार गारंटी योजना', 'काम के बदले अनाज', 'सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। ग्रामीण विकास के इन कार्यक्रमों में आपसी समन्वय का अभाव था। इससे ग्रामीण गरीबी व बेकारी को कम करने में वांछित सफलता नहीं मिली। अतः यह महसूस किया गया कि 'लक्षित वर्ग' को पहचान कर उनकी गरीबी पर समन्वित रूप से सीधा वार किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को 'निर्धनता रेखा' से ऊपर उठाने के लिए उत्पादन के साधन एवं कौशल प्रदान करना जरूरी था। इसी भावना को मद्देनजर रखकर छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के ड्राफ्ट में इस कार्यक्रम की कल्पना की गई। इस कार्यक्रम में चार आयामों को समन्वित किया गया, यथा—क्षेत्रीय कार्यक्रम भौगोलिक दृष्टिकोण, सामाजिक-आर्थिक क्रियाएं एवं निर्धनता-उन्मूलन तथा रोजगारोन्मुख नीतियां। इस प्रकार इस कार्यक्रम की परिकल्पना एक 'निर्धनता विरोधी कार्यक्रम' के रूप में की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978-79 से की गई।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 'लक्षित समूह' का सर्वांगीण विकास कर उसे 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबतम परिवारों को रोजगार प्रदान कर आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए क्षेत्र में विद्यमान संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) श्रम एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिस्थितियों पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करना; नवीन वैज्ञानिक जानकारी का प्रयोग कर उत्पादन क्षमता बढ़ाना।

(ii) आम जनता को सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में शामिल कर जागरूक व समृद्ध बनाना।

(iii) विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से गरीबतम परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना।

लक्षित समूह

लक्षित समूह में लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि एवं गैर कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 3500 रु. वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को 'गरीबी रेखा' से नीचे माना गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह रेखा 6400 रु. वार्षिक (1983-84 के मूल्यों पर) हो गई। यह भी निर्णय किया गया है कि 4800 रु. वार्षिक आय तक के परिवारों को पहले लाभान्वित किया जाएगा तत्पश्चात् 4800 रु. से 6400 रु. के बीच आय वालों को लिया जाएगा।

गतिविधियां

लक्षित समूहों को प्राथमिक क्षेत्र से सम्बंधित गतिविधियों के संचालन हेतु संस्थागत साख उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न गतिविधियों को शामिल किया गया है:

1. **कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र**

   (i) लघु सिंचाई (ii) सामूहिक सिंचाई (नालियों का निर्माण) (iii) बाढ़-नियंत्रण (iv) भूमि सुधार व संरक्षण (v) कृषि यंत्र (vi) डेयरी विकास (vii) पशु क्रय एवं पशुपालन (viii) पशु गाड़ियां (ix) बागवानी।

2. **ग्रामीण उद्योग**

(i)खादी-इकाइयां (ii) गुड़ एवं खाण्डसारी (iii) चमड़ा कार्य (iv) तेल घाणी (v) मिट्टी के बर्तन (vi) लुहारु कार्य (vii) लकड़ी का काम (viii) रस्सी बुनना आदि।

3. **सेवा कार्य व विपणन**

(i) ग्रामीण खुदरा दुकानें (ii) चाय-स्टाल (iii) सिलाई कार्य (iv) नाई की दुकान (v) साईकिल मरम्मत।

अनुदान

गरीबों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लघु कृषकों को निवेश का 25 प्रतिशत; सीमान्त कृषकों तथा ग्रामीण दस्तकारों को 33.33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत आर्थिक अनुदान दिया जाता है। सामान्यतः अनुदान 3000 रुपये तक दिया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 4000 रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 5000 रुपये तक अनुदान दिया जा सकता है।

लाभार्थियों की पहचान

इस कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों का चयन 'हाउसहोल्ड सर्वेक्षण' पर आधारित है। इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। ये सर्वेक्षण सामान्यतः ग्रामस्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। जिन वर्गों की स्थिति सुधारने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उन 'लक्षित वर्ग' के परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण द्वारा उनकी आय के आधार पर अलग-अलग वर्ग बनाए जाते हैं। लाभार्थियों का पता लगाने में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, बैंक स्टाफ आदि भी अपना सहयोग देते हैं। इस प्रकार पहचान किए गए लाभार्थियों की एक सूची बनाकर ग्राम पंचायत को दे दी जाती है।

प्रशासन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बंधी विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' करती है। राज्य का मुख्य सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। समन्वय समितियों की समय-समय पर बैठकें होती हैं जिनमें इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन की समीक्षा कर इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरण' द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विकास अभिकरण में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एक पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी तथा कृषि, पशु पालन तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञ सहायक विकास अधिकारी होते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक खण्ड के लिए व्यापक योजना तैयार करने पर जोर देता है, इसलिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंग के रूप में जिला स्तर पर एक तीन संदस्यों वाली 'योजना टीम' की स्थापना की जानी है जिसमें एक अर्थशास्त्री या सांख्यिकीविद्, एक ऋण योजना बनाने वाला अधिकारी और एक लघु और कुटीर उद्योग अधिकारी होगा।

ब्लाक स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी 'खण्ड विकास अधिकारी' (बी.डी.ओ.) की है। खण्ड विकास अधिकारी ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के सौजन्य से इसके प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास करता है।

कार्यान्वयन एवं प्रगति

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 से शुरू किया गया। सर्वप्रथम देश के 2000 खण्डों में इसे शुरू किया गया। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 300 खण्ड इस संख्या में बढ़ाये जा रहे थे। 2 अक्तबूर 1980 से इसे देश के सभी 5011 खण्डों में लागू कर दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी योजना में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विशेष प्रगति हुई। योजनावधि में 165.62 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई जबकि लक्ष्य 150 लाख परिवारों का था। इस प्रकार उपलब्धि 110.4 प्रतिशत रही। सहायता पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का लक्ष्य एक-तिहाई (33%) रखा गया जबकि वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति 39 प्रतिशत रहा। योजना के दौरान ऋण वितरण का लक्ष्य 3000 करोड़ रु. था जबकि वास्तविक ऋण वितरण 3101.6 करोड़ रु. हुआ जो लक्ष्य का 103 प्रतिशत है।

योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण उद्योग एवं सेवा कार्य की तुलना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में ऋण वितरण अधिक किया गया। योजनाकाल में प्राथमिक क्षेत्र में 69.55 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया। द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में यह प्रतिशत क्रमशः 11.17 व 19.28 रहा। धीरे-धीरे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया। 1980-81 की तुलना में 1984-85 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्रतिशत वितरण 93.55 से घटकर 54.50 रह गया, जबकि ग्रामीण उद्योगों में यह 2.32 से बढ़कर 15.70 तथा सेवा क्षेत्र में 4.13 से बढ़कर 29.80 हो गया। द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र प्रत्येक में लगभग सात गुना वृद्धि हुई। इस प्रकार

इस कार्यक्रम ने कृषि क्षेत्र पर श्रम के बढ़ते दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण पहलू उन लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है जो छठी योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए। इस योजना में गरीबी रेखा (6400 रुपये) से काफी कम आय (4800 रुपये वार्षिक) वालों को पहले लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे परिवारों का भी चयन किया जाएगा जो छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता प्राप्त कर चुके हैं परन्तु आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के लिए पूरक सहायता चाहते हैं।

सन् 1994-95 तक गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 1977-78 में 48.3 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे यह प्रतिशत घटकर 1984-85 में 36.9 प्रतिशत व वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत हो गया।

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के तहत 200 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। लाभान्वित होने वालों में 50 प्रतिशत ऐसे होंगे जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता दी गई थी परन्तु जिन्हें प्रति परिवार 500 रुपये की पूरक सहायता की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के लिए योजनाकाल में 3474 करोड रु. की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से 1864.4 करोड़ रु. केन्द्र सरकार द्वारा तथा 1609.6 करोड़ रु. राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा व्यय किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है:

सातवीं पंचवर्षीय योजना में स. ग्रा. वि. का.

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
1. आर्थिक सहायता का आबंटन (करोड़ रु.)	407.36	543.83	613.38
2. आर्थिक सहायता का उपयोग (करोड़ रु.)	441.10	604.37	447.88
3. कुल वितरित ऋण (करोड़ रु.)	730.15	997.98	783.28
4. कुल लाभान्वित परिवार (लाखों में)	30.60	37.41	29.02
5. अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभान्वित परिवार (लाखों में)	13.33	16.82	12.45

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 'समन्वित विकास कार्यक्रम' को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक '12 सूत्री योजना' तैयार की गई है। इसमें प्रतिवर्ष 3 मिलियन के स्थान पर 1 मिलियन लाभार्थियों को सहायता देना; प्रति परिवार औसत राशि को 3300 रु. से बढ़ाकर 6000 रु. करना; पूर्व के लाभार्थियों को पूरक सहायता प्रदान करना; छठी योजना में लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत मात्र 8 था इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना; लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु ग्रामीण प्रशिक्षण एवं तकनीकी केन्द्र खोलना; बैंकों की कार्यकुशलता सुधारना; स्वयंसेवी संस्थाओं का अधिक सहयोग लेना; लाभार्थियों को अधिकारों एवं लाभों के प्रति जागरुक करना; प्रभावी मूल्यांकन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समस्याएं एवं सुझाव

2 अक्तूबर 1980 से इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। गरीबी मिटाने के ऐसे विशाल कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व विशेष तैयारी की जरूरत थी। देश में भौगोलिक, सांमाजिक, आर्थिक भिन्नताएं हैं। क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर लाभप्रद व्यवसायों पर जोर दिया जाना चाहिए। क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। क्रियान्वयन की देखरेख के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने वालों को विकास खण्ड मुख्यालय पर सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित दर पर कच्चा माल सुलभ कराया जाए तथा उत्पादित माल के विपणन की उचित व्यवस्था की जाए।

इस कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों के चुनाव की प्रक्रिया लचीली है। कई बार कम गरीब लोगों का चयन कर लिया जाता है जिससे वास्तविक गरीब लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः चयन में सतर्कता बरतने की जरूरत है, लाभार्थी को ऐच्छिक व्यवसाय के लिए ऋण न मिलने से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। अतः ऋण देते समय उनकी रुचि एवं कुशलता को ध्यान में रखना चाहिए। ऋण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना चाहिए। ऋण की मात्रा पर्याप्त हो तथा ऋण राशि समय पर प्रदान की जाए। क्रियान्वयन में ढील के कारण कई बार प्रथम किस्त देने के बाद दूसरी किस्त में देरी करने से पहले प्राप्त आर्थिक सहायता अनुत्पादक कार्यों में गवां दी जाती है

तथा वास्तव में जब उसे सहायता की आवश्यकता होती है तब वह अपना अधिकार गवां चुका होता है।

इस कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों में निष्ठा की भावना जरूरी है। उन्हें ईमानदारी से निर्धनों की सेवा व सहयोग करना चाहिए ताकि गरीबों से उनका भावनात्मक लगाव हो सके। जब तक चयनित लाभार्थी इस कार्यक्रम के बारे में अर्नाभज्ञ रहेंगे, योजना का वांछित लाभ मिलना सम्भव नहीं है। अत: निर्धनों में जागरुकता पैदा करना जरूरी है। बहुत से लाभार्थी प्राप्त ऋण का अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोगों की भावना इस कार्यक्रम के बारे में ठीक नहीं है। उनका मानना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार खैरात बांट रही है। इस ऋण का वापिस भुगतान नहीं करना है। ऐसे वातावरण में सुधार कर लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए ताकि वे स्वावलम्बी हो सकें तथा खुशी-खुशी ऋण का भुगतान करें। इस कार्यक्रम में दिए जा रहे अनुदान की प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। अनुदान तभी दिया जाना चाहिए जब ऋण का सही उपयोग किया जाए। इससे ऋण के उत्पादक कार्यों में प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

गरीबी निवारण का यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। इससे गरीबी दूर करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने में विशेष मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के उत्थान में इस कार्यक्रम ने विशेष योगदान दिया है। इसे अधिक सफल बनाने के लिए गुणात्मक पहलू पर अधिक ध्यान, दिया जाना चाहिए। लाभार्थियों की जागरुकता; प्रशासन में उचित तालमेल; सुदृढ़ संगठन एवं कर्मचारियों की निष्ठा से यह कार्यक्रम अधिक सफल होगा। हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्याप्त सहयोग दें ताकि राष्ट्र से गरीबी मिटाने का हमारा सपना जल्दी साकार हो सके।

सहायक प्रोफेसर,
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

(पृष्ठ 23 का शेष)

4. चयन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में बराबर भौतिक लक्ष्य न रखा जाए। इससे कार्यक्रम में महज भौतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपात्र व्यक्तियों को चयन किए जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।

5. पिछड़े वर्गों में जाति की सामाजिक स्थिति के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत ऋण का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। अन्यथा आर्थिक विकास के नाम पर साम्प्रदायिकता अथवा जातीय वैमनस्यता के विकास को बल मिलेगा।

6. सरकार अगर वास्तव में ग्रामीण निर्धनों का उत्थान चाहती है, तो रोजगार इकाई विशेष के लिए उस समय के बाजार मूल्य को पता करके उसके बराबर ही ऋण राशि लाभार्थियों को देने की कड़ी व्यवस्था करे।

7. ऋण राशि को अलाभकारी कार्यों में प्रयोग करने वाले लाभार्थियों को कार्यक्रम के तहत मिलने वाली छूट से वंचित रखा जाए तथा उनसे अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाए।

8. विशेषकर ऐसे व्यवसाय क्षेत्र के लिए ही ऋण स्वीकृत किया जाए, जिसके उत्पादन की गांव से बाहर पर्याप्त मांग हो और इसके विक्रय की समुचित व्यवस्था की जाए। उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस व्यवस्था के बगैर ऋणों के रूप में खर्च की गई विपुल राशि से कोई फल नहीं मिल सकता।

9. हर गांव में दुग्ध संग्रह केंद्र खोले जाएं, पशु चिकित्सा उप-केंद्रों की स्थापना की जाए।

10. प्रत्येक लाभार्थी को पशु पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं प्रबंध संबंधी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाये तथा इसकी तत्संबंधी व्यवस्था उसी गांव में होनी चाहिए क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति घर-बार, पशु, बच्चों आदि को छोड़कर गांव से बाहर प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सकते।

11. अन्त में, एक सुझाव यह देना चाहूंगी कि बजाय ऋण दिए जाने के लक्षित वर्ग को स्थाई सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार स्वयं विभिन्न आर्थिक कार्यों, उत्पादों संबंधी संस्थानों की स्थापना करे और लक्षित वर्ग को ही उन कार्यों के लिए नियुक्त करे। इससे ऋणों के रूप में विपुल धनराशि का अपव्यय नहीं होगा और लक्षित वर्ग को निरन्तर एक निश्चित आय की प्राप्ति हो सकेगी और तभी इस वर्ग को हम गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम होंगे।

द्वारा—डा. राजेश चौधरी,
पंडित उदय जैन महाविद्यालय,
कनोड़ (जिला—उदयपुर) राजस्थान,
पिन कोड-313604

राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

अनीता शर्मा

हमारे देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध यहां की उस 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता की प्रगति से है जिसका 77 प्रतिशत स्वतंत्रता के चार दशक बाद भी कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात इनकी गरीबी, अज्ञानता और अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए, कई योजनाएं बनाई गई और इन योजनाओं, परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी हुआ किन्तु उन लोगों तक पूरा लाभ नहीं पहुंचा जिनके लिए विशेषकर उन्हें बनाया गया था। अत: ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी अल्प रोजगार व बेरोजगारी आदि समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए 1978-79 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई जिसको "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" का नाम दिया गया जिसके लिए केन्द्र तथा राज्यों ने 50:50 के आधार पर राशि की व्यवस्था करना निश्चित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गांव में रहने वाले बहुत गरीब परिवारों की सहायता करना। उन्हें स्व-रोजगार शुरू करने हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता देना ताकि वे अपना रोजगार शुरू करके गरीबी की सीमा पार कर सकें।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे छोटे व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों व दस्तकारों तथा लघु-कुटीर उद्यमियों को शामिल किया गया है। इसके लक्ष्य समूह में सबसे पहले उन परिवारों को लिया गया है जिनके 5 सदस्यों के परिवार की वार्षिक आय 3500/- से अधिक न हो। रोजगारों के सृजन व आमदनी की वृद्धि वाला यह दोहरे उद्देश्य वाला कार्यक्रम गरीब ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित हुआ है। इस कार्यक्रम ने देखते ही देखते लाखों लोगों को गरीबी की रेखा के पार लगा दिया है। पिछले दस वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 280 लाख परिवरों को सहायता की जा चुकी है।

ढांचा एवं नीति

इस कार्यक्रम में 1977-78 के दौरान देश के केवल 16 जिलों को शामिल किया गया था लेकिन इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए जिलों की जगह विकास-खण्डों को इकाई मानना निश्चित किया गया। आरम्भ में 1978-79 में देश के 2300 चुने हुए विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया और इसमें प्रतिवर्ष 300 नए ब्लाक शामिल करने का निर्णय लिया गया। अक्तूबर, 1980 तक इस कार्यक्रम को 5011 विकास खण्डों में लागू किया जा चुका था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब परिवारों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही सामान्यत: जो गरीबी की सीमा रेखा मानी जाती है उसे बहुत कम कर दिया गया है ताकि इस कार्यक्रम द्वारा अत्याधिक गरीब व्यक्ति सबसे पहले गरीबी की सीमा रेखा पार कर सुखी व खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके।

हालांकि गरीबी की रेखा से नीचे उस परिवार को माना जाता है जिसके पांच सदस्यों के परिवार की वार्षिक आय 6400 रुपये हो लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा का मापदंड 4800 रुपये रखा गया है। परन्तु इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यधिक गरीब व्यक्ति पहले सहायता प्राप्त करें यह पहले ही जांच कर ली जाती है कि 3500 रुपये तक की वार्षिक आय के स्तर वाले परिवार वालों को पहले सहायता दी जा चुकी है। उसके बाद ही 4800 रुपये वार्षिक आमदनी वाले परिवार और फिर 6400 रुपये वार्षिक आमदनी वाले परिवारों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है।

छठी योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम में 165 लाख परिवारों को लाभ दिया जा चुका था जिस पर लगभग 4700 करोड़ रुपये खर्च हुए इसमें से 3100 करोड़ रुपये बैंकों से ऋण के रूप में दिए गए और 1600 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से दिए गए थे। छठी योजना के आरम्भ में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत थी जो पूरी योजना की समाप्ति पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावी व सफल कार्यान्वयन से केवल 40 प्रतिशत ही रह गई। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना के अन्त तक यह घट कर 28 प्रतिशत ही रह जाएगी।

सातवीं योजना में 2 करोड़ गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम से सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर लगभग 6500 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है जिसमें से 4000

करोड़ रुपये बैंकों से ऋण के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। अभी तक अपने क्रियान्वयन के पिछले दस वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में सहायता प्राप्त परिवार संख्या और उन पर उपयोग में लाई गई राशि सारणी में दी गई है।

इस कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए उन गरीब परिवारों को जो छठी योजना के दौरान सहायता दिए जाने के बावजूद किसी कारणवश गरीबी से छुटकारा नहीं पा सके, सातवीं योजना में पूरक सहायता दी गई। यही नहीं, अब प्रति परिवार पहले से ज्यादा निवेश की व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि गरीब परिवार बिना परेशानी के अपनी आमदनी बढ़ा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि सही लाभार्थी का ही चयन किया जाए, अन्यथा कार्यक्रम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसके लिए लाभार्थी का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से ही किया जाने लगा है। सबसे पहले खण्ड स्तर का अधिकारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को रिपोर्ट देता है कि 3500 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता दे दी गई है। तत्पश्चात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्थिति की जांच करती है। जांच ठीक पाए जाने पर 3501-4800 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की सहायता करने के लिए ग्राम पंचायत को स्वीकृति दे दी जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि लाभार्थियों का संगठन बनाया जाए, जहां लाभार्थियों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अपने अनुभव, शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक मंच मिल सके।

वित्तीय सहायता

किसी भी कार्यक्रम या योजना की सफलता उसको मिलने वाली वित्तीय सहायता पर अत्याधिक निर्भर करती है। अतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता में भी वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकिंग संस्थाओं ने विशेष भूमिका निभाई है। इसी कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के तहत बैंकों से जहां पहले 5000 रुपये बिना सिक्यूरिटी के कर्ज मिल सकता था, अब 10,000 रुपये तक मिल सकता है। ग्रामीण उद्योग एवं सेवा व्यवसाय क्षेत्र के मामले में यह सीमा 25,000 रुपये तक कर दी गई है। यही नहीं, निर्धन लोगों को कर्ज प्राप्त करने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से बैंकों की कार्य पद्धति में भी सुधार किए गए हैं। जहां पहले महीने में दो दिन ही बैंक द्वारा कर्ज दिए जाने की सुविधा दी थी, वहां यह सुविधा अब सप्ताह के दौरान एक दिन कर दी गई है, ताकि लोगों को दिक्कत न आने पाए। यही नहीं, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आजकल बैंक शाखा के अधिकारी, जिला विकास अभिकरण द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई कर शीघ्र ही 15 दिन के अन्दर उनका निपटारा कर देते हैं।

इसके अलावा, प्रत्येक लाभार्थी को ऋण पासबुक दी गई है जिनमें ऋण मंजूर करने की तिथि, मंजूर किए गए ऋण की राशि, प्राप्त आर्थिक सहायता, ब्याज की दर, प्रत्येक किश्त में देय राशि, राशि वापिस करने की तिथियां आदि का विवरण दिया जाता है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है ताकि लाभार्थी को कोई परेशानी न हो और वह अपने ऋण की अदायगी की उचित देख-रेख कर सके। कुछ राज्यों ने ऋण शिविर और ऋण एवं वसूली शिविर लगा कर लाभार्थियों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया है। इन शिविरों का यह विशेष लाभ है कि अधिकारियों से सीधे सम्पर्क के साथ-साथ, ऋण की मंजूरी व वापसी की औपचारिकताएं भी अच्छी तरह लाभार्थी समझ सकता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के भविष्य की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अप्रैल, 1988 से भारतीय जीवन बीमा के सहयोग से सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष अधिक नहीं है, शामिल किया गया है। इसके तहत हर लाभग्राही का 3 वर्ष की अवधि के लिए तीन हजार रुपये का बीमा किया जा रहा है और दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में उसके परिवार को दुगनी राशि दी जाएगी। इसमें प्रीमियम की अदायगी का सारा खर्च सरकार करती है, लाभग्राही को इसमें कुछ देना नहीं पड़ता है। इस योजना में, मार्च, 1989 तक 4,15,293 छोटे किसानों, 11,44,109 मझौले किसानों, 12,55,753 कृषि श्रमिकों, 8,02,656 ग्रामीण कारीगरों का जीवन बीमा किया जा चुका था जिसमें से प्राकृतिक मृत्यु के 1489, दुर्घटना में हुई मृत्यु के 136 लोगों के दावे दाखिल किए गए हैं, जिनमें से अभी तक क्रमशः 1047 मृतकों के परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लाभार्थी की अकाल मृत्यु या दुर्घटनावश अपंग होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक

इस कार्यक्रम के विकास के साथ-साथ इसके दो महत्वपूर्ण उपघटक भी अस्तित्व में आए जिनमें एक है 'डवाकरा' और दूसरा 'ट्राइसेम'। ग्रामीण युवाओं के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सहायता प्राप्त परिवार संख्या	उपयोग में लाई गई निधियां (लाख रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2291962	28404.32
2.	असम	517844	9413.16
3.	बिहार	3814051	42484.36
4.	गुजरात	1310312	7798.56
5.	हरियाणा	737719	10451.51
6.	हिमाचल प्रदेश	411480	4442.60
7.	जम्मू और कश्मीर	288057	4014.49
8.	कर्नाटक	1324552	15965.10
9.	केरल	961128	11047.19
10.	मध्य प्रदेश	2737216	34745.33
11.	महाराष्ट्र	1940670	25660.05
12.	मणिपुर*	72914	1034.53
13.	मेघालय	55988	1141.87
14.	मिजोरम**	28336	1129.68
15.	नगालैंड	98452	1608.28
16.	उड़ीसा	1838532	19248.39
17.	पंजाब	792729	5331.81
18.	राजस्थान	1453814	18451.33
19.	सिक्किम	17969	219.29
20.	तमिलनाडु	2631623	29444.98
21.	त्रिपुरा	127830	1961.82
22.	उत्तर प्रदेश	7515311	70400.62
23.	पश्चिम बंगाल*	1632397	19586.32
24.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह**	5667	111.62
25.	चण्डीगढ़**	1503	5.34
26.	दादर और नागर हवेली**	3893	66.90
27.	दिल्ली	26433	314.30
28.	गोवा, दमन और दीव**	54141	455.14
29.	लक्षद्वीप	2993	166.64
30.	पांडिचेरी	29969	322.42
31.	अरुणाचल प्रदेश	81160	1577.50
	अखिल भारत	32806645	367005.45

* 1979 से

** 1980 से

योजना का नाम दिया गया ट्राइसेम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना को डवाकरा कहा गया।

ट्राइसेम

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना 15 अगस्त 1979 में शुरू की गई थी। इसके अन्तर्गत अब तक गरीबी की रेखा से नीचे रह-रहे परिवारों के 6.9 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कार्यकुशलता प्रदान कराई जा चुकी है ताकि वे कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों, लघु व कुटीर उद्योगों व सेवा-व्यवसायों आदि कार्यों में अपने लिए रोजगार जुटा सकें। इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों के 18-35 वर्ष के ग्रामीण युवक शामिल किए गए हैं लेकिन कालीन बुनाई कार्यों के लिए आयु सीमा 14-35 वर्ष रखी गई है। इस योजना से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के समुदायों व महिलाओं को लाभ पहुंचाने हेतु यह निश्चित किया गया है कि प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 30 प्रतिशत युवक अनुसूचित जाति तथा जनजाति और 33.33 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

इन युवकों के चयन के लिए खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के लक्षित वर्ग के युवकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। फिर जांच करने के बाद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सूची भेज दी जाती है जो विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ परामर्श करके उनकी क्षेत्रीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवसायों का चयन करती है। जहां तक सम्भव होता है, उत्पादक कार्यकलापों पर ही बल दिया जाता है। ट्राइसेम को व्यापक स्तर देने हेतु इसके अन्तर्गत कुछ गैर परम्परागत कार्यों को भी शामिल किया गया है जिसमें मुख्य है—हीरों की कटाई, रेफ्रिजरेटर की मरम्मत, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बागवानी, टी.वी. व घड़ियों की मरम्मत। इन कार्यों को शामिल करने का उद्देश्य यही है कि युवकों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत और तत्पश्चात् स्व-रोजगार के लिए कोई समस्या न आए।

गत वर्ष समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/ट्राइसेम के लाभार्थियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कई राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनियां काफी लाभकारी पाई गई हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से उनमें काम के प्रति उत्साह, समर्पण व लगन को प्रोत्साहन मिला है। अतः यह निश्चित कर दिया गया है कि भविष्य में भी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदर्शनियां/ट्राइसेम व्यापार मेले आयोजित किए जाएं।

ट्राइसेम को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1988-89 में स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षित लोगों को औजार-किट भी दिए जाने लगे हैं जबकि पहले ये औजार-किट केवल मजदूरी के लिए प्रशिक्षित युवाओं को दिए जाते थे। यही नहीं, कुशल लोगों के लिए मजदूरी के अवसरों में वृद्धि को देखते हुए अब ट्राइसेम में मजदूरी दिला सकने वाले प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया है।

दिसम्बर, 1988 तक लगभग 16,76,371 युवाओं को ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका था जिनके प्रशिक्षण पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से 12,523.50 लाख रुपये व केन्द्र द्वारा 1,820.35 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि वे भी केन्द्रीय सहायता के समतुल्य अंश की व्यवस्था करें ताकि इस योजना से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

डवाकरा

इस तथ्य को मानते हुए कि इस कार्यक्रम में बहुत कम महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है, उनमें सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के प्रति एक सुनिश्चित दृष्टिकोण जागृत करने के लिए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं के विकास की योजना (डवाकरा) शुरू की गई। इस कार्यक्रम को 1982-83 में सभी राज्यों के 50 चुनिंदा जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1985-86 के दौरान इसे प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र के एक जिले में आरम्भ किया गया। फिर कार्यक्रम को प्रतिवर्ष क्रमबद्ध आधार पर और जिलों में बढ़ाया गया। मार्च, 1988 तक इस योजना को 106 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका था। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक 137 जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार हो जाएगा।

प्रत्येक जिले में अलग-अलग हर महिला तक कार्यक्रम का लाभ पहुंचाना काफी कठिन था इसके लिए सामूहिक दृष्टिकोण द्वारा महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या तक लाभ पहुंचाने की नीति अपनाई गई। गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की 15-20 महिलाओं के एक समूह को ग्रुप में आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले सभी परिवारों के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अलावा कुछ अन्य लाभ भी दिए जा सकें। इस कार्यक्रम में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कुल 22,682 समूहों को आयोजित करने वाले

(शेष पृष्ठ 37 पर)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम: गांवों में गरीबी दूर करने की कारगर पहल

इन्दिबजल

आजादी के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत योजना का शुरू किया जानां अनेक पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती जैसा प्रयास था। यह पण्डित जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना थी, जो देश की चहुंमुखी प्रगति की आधारशिला इस तरह रखना चाहते थे कि आगे चलकर वह हर तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। योजना के अंतर्गत उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसे विशाल कारखानों की नींव रखी जिनसे आने वाले समय में और उद्योग लगाने में मदद मिलती या जो देश की प्रगति की मूलभूत जरूरतों को पूरी कर सकते। इन कारखानों से क्या लाभ हो सकता था इसकी कुछ-कुछ अनुभूति देश को अब जाकर होने लगी है।

अब से कुछ वर्ष पहले इनकी उपयोगिता के बारे में अनेक लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी थी। कुछ निहित स्वार्थों ने यह प्रचार शुरू कर दिया कि ये बड़े-बड़े कारखाने देश के ऊपर भार हैं और इनका लाभ देश के आम लोगों तक नहीं पहुंचता। वैसे भी ये कारखाने आम उपभोक्ता के मतलब की सामग्री तो बनाते नहीं थे, इसलिए ऐसे प्रचार पर आम आदमी विश्वास कर सकता था। लोकतंत्र में सरकार को अधिक से अधिक लोगों की कद्र करनी होती है और इन लोगों को यह कह कर आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि योजना के अंतर्गत जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं उनका लाभ तुम्हें 30-40 साल बाद मिलेगा।

इसी पृष्ठभूमि में और देश की तत्कालीन स्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए बजाए दूरगामी परियोजनाओं के ऐसी अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गईं जिनका त्वरित लाभ देश के असंख्य असहायों व निर्धनों तक पहुंच सके। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी ऐसी ही अनेक योजनाओं में से एक है।

यह कार्यक्रम 1978-79 में कुछ चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था और 1980-81 तक इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित परिवारों को उत्पादक वस्तुएं तथा साधन देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। योजना आयोग के अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय 6400 रुपये या इससे कम है, उन्हें गरीबी-रेखा से नीचे माना जाए। इसके लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 1983 में 38वें चरण में ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण से पता लगाए गए औसत उपभोक्ता-व्यय को आधार माना गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 22 करोड़ 22 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो कुल ग्रामीण जनसंख्या का 39.9% थे। इस योजना में 1990-91 तक इसे 28.5% और 1994-95 तक 10% तक लाने का अनुमान लगाया गया है। आशा है कि 2000 ई. तक ग्रामीण निर्धनता का पूर्ण निवारण किया जा सकेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को सहायता प्रदान करता है, जिनकी सालाना आय 4800 रुपये या उससे कम है। सहायता का तरीका यह है कि कुल सहायता का 25% छोटे किसानों, 33.3% एकदम छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को तथा 50% जनजातीय लोगों को दिया जाता है। साधारण मामलों में सहायता की अधिकतम सीमा 3000 रुपये है। कुछ अन्य कार्यक्रमों तक यह सीमा 4000 रुपये और जनजातीय परिवारों में यह सीमा 5000 रुपये है। सिंचाई परियोजनाओं में सहायता की कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है। इस कार्यक्रम द्वारा सहायता प्रदान करने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कम से कम 30 प्रतिशत परिवार होने आवश्यक हैं। इस कार्यक्रम में यह प्रावधान भी है कि जिन लोगों को सहायता दी जाती है उनमें कम से कम तीस प्रतिशत महिलाएं हों, ताकि महिलाएं विकास-कार्यक्रमों में अपना योगदान दे सकें।

कार्यक्रम की उपलब्धियां

1986-87 तक सात सालों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ढाई करोड़ गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके लिए 82 अरब 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार सालों में (दिसंबर 1988 तक) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ 34 लाख परिवारों की सहायता की गई तथा 22 अरब 72 करोड़ 71 लाख रुपये के फंड का उपयोग किया गया। वित्तीय संस्थानों ने 36 अरब 82 करोड़ 82 लाख रुपये का सावधि ऋण जुटाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक परिवारों की मदद की गई। यह तथ्य निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट हो जाता है।

साल	उद्देश्य (लाखों में)	उपलब्धि (लाखों में)	अनुसूचित जाति/ जनजाति	महिलाएं
1985-86	24.70	30.61	43.22%	9.89%
1986-87	35.00	37.47	44.83%	15.13%
1987-88	39.64	42.47	44.71%	19.53%
1988-89 (दिसम्बर 1988 तक)	31.94	23.62	45.42%	22.47%
कुल	131.28	134.17	44.53	16.63%

इस सारणी से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लाभार्थियों का 30% होने का जो प्रावधान था उसे भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार सालों में पूरा कर लिया गया। लेकिन उद्देश्य के मुताबिक महिलाओं का प्रतिशत कुल लाभार्थियों का कम से कम तीस प्रतिशत होना था जो इन सालों में पूरा नहीं हो पाया। ये आंकड़े भारतीय ग्रामीण समाज के पुरुषोन्मुख होने को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महिलाओं की कम भागीदारी की तरफ भी संकेत करते हैं।

चालू वर्ष (1988-89) में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 लाख 94 हजार परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिसम्बर 1988 तक 23 लाख 62 हजार परिवारों की सहायता की गई। केवल ये राज्य अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए : अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड। जाहिर है कि इनमें अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य हैं। यह तथ्य इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय-असंतुलन की तरफ संकेत करता है। सहायता किए गए परिवारों में से 45.4% परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आते थे। महिलाओं की सहायता करने का लक्ष्य इस साल पूरा नहीं हो सका। यह उपलब्धि कुल लाभार्थियों का 22.47% की ही रही जबकि लक्ष्य 30% का था। जिन राज्यों ने यह उपलब्धि भी पूरी नहीं की वे हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। केवल नौ राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों ने ही यह उपलब्धि हासिल की।

चालू वर्ष में ही इस कार्यक्रम के लिए 6 अरब 87 करोड़ 95 लाख रुपये का आबंटन किया गया। इसमें से दिसंबर 1988 तक 4 अरब 90 करोड़ 79 लाख रुपये का उपयोग किया गया। यह राशि कुल आबंटन का 71.34 प्रतिशत थी।

इस कार्यक्रम को कारगर रूप से लागू करने के लिए हर तीसरे महीने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। दिसंबर 1988 तक इन नौ महीनों के लिए उद्देश्य यह था कि सालाना उद्देश्य का कम से कम 70 प्रतिशत पूरा कर लिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा उपलब्धि लक्ष्य से ज्यादा ही रही। परिवारों की सहायता का जो लक्ष्य था इन नौ महीनों में उसका 73.96 प्रतिशत पूरा कर लिया गया और फंड के इस्तेमाल का जो सालाना लक्ष्य था उसका 71.34 प्रतिशत इन नौ महीनों के दौरान पूरा कर लिया गया। जिन राज्यों ने फंड के इस्तेमाल का लक्ष्य इन नौ महीनों में पूरा नहीं किया वे हैं: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और मिजोरम। इन नौ महीनों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 अरब 62 करोड़ 43 लाख रुपये का सावधि ऋण दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए.) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जितने लोगों को लाभ पहुंचता है, उसका कम से कम तीस प्रतिशत महिलाओं के होने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा में भी इस बात पर चिंता जताई गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिला-सदस्य इस कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं उठा रही हैं। इसके लिए किसी एक ऐसे कार्यक्रम की जरूरत महसूस हुई जो ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान दे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास का कार्यक्रम एक ऐसा ही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 1982-83 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में 22 राज्यों के ऐसे 50 जिलों में शुरू किया गया था, जहां निरक्षरता और शिशु-मृत्यु की दर सबसे अधिक थी। बाद में इस कार्यक्रम का काफी विस्तार हुआ है। 1985-86 में इस कार्यक्रम का प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र के एक-एक जिले में विस्तार किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी के चार सालों में सौ और जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। 1986-87 में 24, 1987-88 में 26 और 1988-89 में 29 जिलों में यह

कार्यक्रम शुरू किया गया। फलतः चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यह कार्यक्रम कुल 137 जिलों में शुरू हो गया होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर 48 करोड़ 5 लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई। 1988-89 के बजट का अनुमान इस कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 41 लाख रुपये का है, जिसमें 4 करोड़ 88 लाख रुपये केन्द्र और 9 करोड़ 53 लाख रुपये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनीसेफ देगा।

1988-89 में इस कार्यक्रम के लिए 7500 ग्रुप बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसंबर 1988 तक ही 3478 ग्रुप बना लिए गए थे जिनकी महिला सदस्यों की संख्या 50,810 थी। जिन नए 29 ज़िलों में कार्यक्रम शुरू होने की आशा है, उनमें यदि यह कार्यक्रम ठीक-ठाक से क्रियान्वित हो जाता है तो इस वर्ष का लक्ष्य पूरा होना संभव हो जाएगा।

इस कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष मदद के अलावा कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाती है, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए काम करती हैं। यह सहायता आम कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (सी. ए. पी. ए. आर. टी.) द्वारा दी जाती है। इस तरह की सहायता की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये प्रति योजना है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को दिसंबर 1988 तक 4 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी गई है। आम कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के अनुसार इस दौरान 3 करोड़ 25 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया था। 1989-90 के लिए बजट अनुमान में आम कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को डेढ़ करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

राज्यों, जिलों और विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी 1988-89 में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को दी गई है। इस तरह इससे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के तरीकों में एकरूपता आएगी। इसके अलावा यूनिसेफ की मदद से राज्यों में प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं। इन शिविरों में इस कार्यक्रम से सम्बंधित राज्य तथा जिला-स्तर के अधिकारी तो बुलाए ही जाते हैं, साथ ही प्रमुख बैंकों के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है ताकि सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर ढंग से तालमेल हो सके। चालू वर्ष में हरियाणा में सूरजकुंड और महाराष्ट्र में सोलापुर में ऐसे ही शिविर लगाए गए। आम कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने भी आंध्र प्रदेश में तिरूपति और मध्य प्रदेश में इंदौर में ऐसे ही शिविर लगाए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता

इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक मदद बैंक संस्थानों द्वारा दी जाती है। ये संस्थान हैं: व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 1986-87 के दौरान कुल 10 अरब 14 करोड़ 88 लाख रुपये का ऋण इन संस्थानों से जुटाया गया। 1987-88 में यह राशि 11 अरब 75 करोड़ 54 लाख रुपये कर दी गई। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1988 तक 7 अरब 62 करोड़ 43 लाख रुपये उपलब्ध किए गए। आशा की जाती है कि 1988-89 में 10 अरब 76 करोड़ रुपये सावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दिसम्बर, 1987 तक की 12 महीनों की मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 81 प्रतिशत लाभार्थियों ने सबसिडी और बैंक ऋण के रूप में साधन जुटाने के लिए पर्याप्त धन राशि जुटा ली थी। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 42 प्रतिशत परिवारों को एक-एक हजार रुपये के कर्ज की अदायगी करनी थी। इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर चिन्ता जताई गई कि 12% मामलों में ऋण वापस करने की अवधि तीन साल से कम थी, जबकि 35 प्रतिशत मामलों में यह अवधि पूरे तीन साल ही थी। यह आशा की जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले नए निर्देशों के कारण ऐसे मामलों में कमी आएगी जिनमें ऋण वापस करने की अवधि तीन सल से कम है।

योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से परामर्श करके उन गरीब जनजातीय लोगों की समस्याओं पर गौर किया गया जो आमतौर पर महाजनों के चुंगल में फंसे रहते हैं और अक्सर कर्ज के बोझ के रूप में यह निर्णय लिया गया कि जनजातीय लोगों को छोटे ऋण दिए जाएं, ताकि वे अपनी उपभोग संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पहले से ही एक 'जोखिम कोष' की व्यवस्था की गई है। इसका आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मुख्य रूप से विस्तार किया जा रहा है। अगर यह योजना सफल रही तो इसे अन्य राज्यों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। इसे योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का गरीब जनजातीय व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 रुपये तक का ऋण ले सकता है। बैंक द्वारा दिए जा रहे उपभोग संबंधी ऋणों का 10% 'जोखिम कोष' के रूप में शुरू किया जाएगा। यह भार केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा उठाया जाएगा।

तौर तरीकों को सरल बनाने के लिए पिछले वर्ष ग्रामीण विकास के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया

गया। इसमें वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं क्षेत्रीय विकास बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1988 में पेश की। इसके द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित सुझाव सरकार ने मंजूर किए:

1. नए लाभार्थियों का सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि पता लगाए गए परिवारों को वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही मदद देनी आरम्भ की जा सके।
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण के लिए आवेदन-पत्र क्रम संख्या के आधार पर विभाजित किए जाने चाहिए, ताकि आवेदन पत्र जमा करते समय अपनाए जाने वाले गलत तरीकों को दूर किया जा सके। प्रत्येक आवेदन-पत्र में लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगा होना चाहिए।
3. लाभार्थियों द्वारा भरे जाने वाले की संख्या पांच से घटाकर चार कर दी गई है।
4. ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों की मंजूरी के लिए बैंकों की समय सीमा पन्द्रह दिन होना जारी रहना चाहिए। खंड विकास कार्यालय से बैंक तक आवेदन-पत्रों को देरी से पहुंचने से बचाया जाना चाहिए ताकि ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों को जल्दी से जल्दी मंजूर किया जा सके।
5. बैंकों को सप्ताह में एक दिन गैर-बैंकिंग दिवस घोषित करना चाहिए ताकि बैंक अधिकारी स्वयं आकर लाभार्थियों की समस्याएं समझ सकें।

मूल्यांकन

जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से ही कई संस्थाएं इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करती हैं। इनमें से मुख्य संस्थाएं हैं: भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग का वित्तीय प्रबन्ध अनुसंधान एवं कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। हालांकि इनमें से किसी भी संस्था ने इस कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया है, फिर भी लाभार्थियों के चयन के मामलों, कम निवेश और कम आधारभूत सुविधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

ग्रामीण विकास विभाग ने अक्तूबर, 1958 से हर महीने सतत् मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया है। इस मूल्यांकन से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोगिता का तो पता चलता ही है साथ ही चयन संबंधी कुछ कमजोरियों का पर्दाफाश भी होता है। कार्यक्रम के कुछ उपयोगी लाभ, इस मूल्यांकन की जनवरी-दिसम्बर, 1987 की रिपोर्ट के अनुसार ये हैं:

1. सरकारी रिकार्डों के सालाना आय संबंधी आंकड़ों के अनुसार कुल लाभान्वित परिवारों के 47 प्रतिशत असहाय परिवार (जिनकी सालाना आय 1 रु. से 2265 रुपये तक है और 50 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन परिवार की सालाना आय 2266 से 3500 रूप) थे। लेकिन निरीक्षकों का जो सालाना आय का मूल्यांकन है उसके मुताबिक कुल लाभान्वित परिवारों का 25 प्रतिशत असहाय परिवार 46 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन परिवार, 21 प्रतिशत उससे थोड़ा कम निर्धन परिवार सालाना आय 3501 से 4800 रु. और 25 प्रतिशत गरीब परिवार सालाना आय 4801 से 6400 रु. थे। यहां यह तथ्य गौर करने योग्य है कि यदि हम निरीक्षकों के सालाना आय के मूल्यांकन को भी मानें तो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पाने वाले कुल परिवारों में से 71 प्रतिशत असहाय परिवार तथा अत्यधिक निर्धन परिवार थे।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 81 प्रतिशत लाभार्थियों ने सरकारी आर्थिक सहायता और ऋण के रूप में इतनी राशि जुटा ली थी कि वह संपत्ति जुटाने के लिए पर्याप्त थी। 72 प्रतिशत मामलों में संपत्ति वैसे ही पाई गई जबकि 7 प्रतिशत मामलों में संपत्ति मृत्यु जैसी आकस्मिक घटनाओं के कारण उसी हालत में नहीं थी जितनी की संपत्ति जुटाते समय थी। 6 प्रतिशत मामलों में संपत्ति उसी हालत में इसलिए नहीं थी, क्योंकि उनसे आय पर्याप्त नहीं हुई थी। 15 प्रतिशत मामलों में संपत्ति की टूट-फूट के कई अन्य कारण थे।
3. जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से लगभग 42 प्रतिशत के पास कोई बकाया वसूली नहीं थी और 37 प्रतिशत के पास एक-एक हजार रुपये से कम की बकाया वसूली थी।
4. इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई आर्थिक सहायता से जुटाए गए साधनों ने 27 प्रतिशत मामलों में आय में 2000 रु. से ज्यादा की वृद्धि हुई। 24 प्रतिशत मामलों में 1000 रु. से लेकर 2000 रु. तक और 17 प्रतिशत मामलों में 501 रु. से लेकर 1000 रुपये तक वृद्धि हुई।
5. राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के 60 प्रतिशत लाभार्थियों ने पुरानी गरीबी रेखा (सालाना आय 6400 रुपये तक) के मुताबिक 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने गरीबी रेखा पार की।

सतत् मूल्यांकन के दूसरे चरण (जनवरी-दिसंबर 1987) के ही अनुसार समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की कमजोरियां यह रहीं:

1. जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम नहीं था ऐसे 8 प्रतिशत लोगों का भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयन हुआ।
2. 72 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों के ही अनुसार साधनों की लागत और मूल्य में कोई फर्क नहीं था। 18 प्रतिशत मामलों में पांच सौ रुपये का फर्क पाया गया, जिससे गलत तरीके अपनाए जाने का पता चलता है। इसकी संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए।
3. 62 प्रतिशत मामलों में कार्यरत पूंजी की जरूरत थी, पर यह 25 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को नहीं दी जा सकी।
4. लाभार्थियों ने 3 प्रतिशत मामलों में अपनी समाप्त हो गई संपत्ति के बीमा स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, परन्तु यह केवल एक प्रतिशत मामलों में ही दिया गया।
5. 32 मामलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, परन्तु यह 29 मामलों में नहीं दिया गया।
6. लाभार्थियों के पास आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी थी। साधन सुविधा केवल चार प्रतिशत मामलों में, मंडी व्यवस्था की सुविधा 14 प्रतिशत मामलों में तथा मरम्मत-व्यवस्था पांच प्रतिशत मामलों में ही उपलब्ध कराई जा सकी।
7. 12 प्रतिशत मामलों में ऋण को वापस करने की अवधि तीन साल से कम थी तथा 35 प्रतिशत मामलों में यह तीन साल थी।
8. लगभग 22 प्रतिशत मामलों में कोई आय वृद्धि नहीं हुई।

समन्वित विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए उठाए गए कदम

साल 1988-89 में निम्नलिखित कदम कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उठाए गए:

1. सामूहिक जीवन-बीमा योजना

भारतीय बीमा निगम की सहायता से सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई ताकि कार्यक्रम के लाभार्थियों को सामाजिक सुविधा दी जा सके। पहली अप्रैल 1988 से ये परिवार इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी का तीन साल तक 3000 रुपये का बीमा होता है और यदि इस बीच आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसे दोगुना लाभ मिलता है।

2. कार्यों में विविधता लाना

कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक प्रकार के विविध कार्य शुरू किए गए। फल और खाद्यान्नों की डिब्बाबंदी करने की इकाइयां लगाई गईं, मत्स्य पालन केन्द्र शुरू किए गए, सार्वजनिक क्षेत्रों, रक्षा सेवाओं को जिन वस्तुओं (वर्दी आदि) की जरूरत होती है उनकी सप्लाई को प्रोत्साहन दिया गया। तीन कार्यदलों की स्थापना की गई, जो इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे तथा संबंधित क्षेत्रों में अन्य संस्थाओं और केन्द्र व राज्य स्तर के कार्यक्रमों से इनका संबंध स्थापित करने के बारे में जांच करेंगे।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निगरानी

संपत्ति की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। जिला अधिकारियों को नियमित रूप से दौरे करने और जांच करने की सलाह दी गई है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भी ऐसा ही करने को कहा गया है। इन एजेंसियों के लिए जरूरी है कि वे हर तीसरे महीने समीक्षा बैठक करें और दौरे करके इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखें तथा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

4. योजना बनाते समय व्यावसायिकता की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम

अनेक जांचों से यह पता चलता है कि जिला स्तर की योजनाओं को बनाते समय विशेषज्ञता और व्यावसायिकता की कमी होती है। इसे दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रयोग के तौर पर विभिन्न संस्थानों के व्यावसायिक लोगों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में नियुक्त किया गया है ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विशेष योजनाओं को व्यावसायिक लोग ही बना सकें। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जिन अधिकारियों के पास आवश्यक तकनीकी शिक्षा है, उन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया जाए।

5. नवीकरण संबंधी कार्यक्रम

विभिन्न स्थानों पर नवीकरण संबंधी कार्यक्रम प्रयोग के तौर पर शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं: जवाहरात और हीरों की कटाई, विभिन्न स्थानों पर बने कल-पुर्जों को एक स्थान पर लाकर इलैक्ट्रानिक वस्तुएं बनाना, आदि।

6. **छोटे स्तर के उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहन देना** समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो ग्रामीण निर्धन आते हैं उन्हें छोटे स्तर के उद्योग लगाने के लिए पंजीकृत सहकारी संस्थाओं ने उत्पादन शुल्क में छूट दी है। जिन छोटे स्तर के उद्योगों में यह छूट दी गई है वे हैं: खाद्यान्नों की डिब्बाबंदी का कार्य, जूते आदि का कार्य जिनका मूल्य पचहत्तर रुपये से कम हो, टी. वी. सेट, रेडियो, कैसेट प्लेयर रिकार्डर, वोल्टेज स्टैबिलाइजर, कैलकुलेटर, इलैक्ट्रानिक्स की घड़ियां, खिलौने आदि का कार्य।

7. **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन होने वाली वस्तुओं के लिए मंडी व्यवस्था** आम कार्रवाई (सी. ए. पी. ए. आर. टी.) एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद में एक अलग सैल बनाया गया है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पाद होने वाली वस्तुओं के लिए व्यावसायिक आधार पर मंडी व्यवस्था का इंतजाम करेगा। इस सैल में मंडी व्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के लिए मंडी व्यवस्था के बारे में सलाह व निर्देश देंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है कि गांवों का पूरी तरह विकास किया जाए क्योंकि भारत गांवों में ही बसता है। गांवों में भी गरीब वर्ग का उत्थान ही सही दिशा में उत्थान है और गरीबों में भी महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का विकास ही सही दिशा में विकास की पहली शर्त है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 60 प्रतिशत लाभार्थियों ने पुरानी गरीबी रेखा (सालाना आय 3500 रुपये) को और 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने नई गरीबी रेखा (सालाना आय: 6400 रुपये) पार कीं। अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित था उसे भी पूरा किया गया हालांकि कुछ राज्य इसे पूरा नहीं कर पाए। महिलाओं के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित था उसे पूरा ना किया जा पाना इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी रही। इस दिशा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारगर क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों से हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में यह कमी भी पूरी कर ली जाएगी और यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने में अहम् भूमिका अदा करेगा।

4/133, नौर्थ-वेस्ट मोती बाग,
नई दिल्ली-110021

(पृष्ठ 31 का शेष)

कामों में लगाया जा चुका है जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली 3,79,641 महिलाओं को लाभ भी हुआ है। वर्ष 1988-89 में 7500 ग्रुपों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से दिसम्बर, 1988 तक 3478 ग्रुप बन चुके थे जिनके सदस्यों की संख्या 50810 थी। इस कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के लिए सातवीं योजना में 48.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1988-89 के लिए 11.41 करोड़ रुपयें का बजट रखा गया है जिसमें केन्द्रीय अंश 4.88 करोड़ रुपये और यूनीसेफ का अंश 6.53 करोड़ रुपये है। निश्चय ही यह कार्यक्रम महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। यूं तो बुनियादी तौर पर यह एक आर्थिक कार्यक्रम ही है लेकिन ग्रामीण महिलाएं विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, इसके लिए महिला और बाल विकास स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण और शिक्षा विभागों से ताल-मेल रखा गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था और 1980-81 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। पिछले एक दशक में इस कार्यक्रम ने पूरे देश को न केवल संसाधन ही दिए हैं बल्कि आज यह कार्यक्रम हमारे देश की उन्नति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है।

1382, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023

गरीबी उन्मूलन एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

चन्द्र शेखर मिश्र

योजनाबद्ध आर्थिक विकास के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक रचनात्मक परिवर्तन हुए हैं तथा राष्ट्र के भावी विकास के लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण हुआ है। सरकार के द्वारा किए गए नए-नए प्रयासों (आवश्यकतानुरूप विभिन्न विकास कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन) से देश में आर्थिक प्रगति हुई है, विज्ञान और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्साहजनक सफलताएं मिली हैं। खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भर हुआ है, इन सबके बावजूद देश में आज भी गरीबी की समस्या जटिल है। 'गरीबी' एवं 'बेरोजगारी' भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है, जो एक-दूसरे से जुड़ी है तथा देश के विकास की गति में अवरोधक है।

गरीबी उन्मूलन हेतु योजनाबद्ध प्रयास

नियोजन के प्रारम्भ से ही गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी दूर करना योजनाओं का मूलभूत उद्देश्य रहा है। गरीबी उन्मूलन भारत सरकार की विकास नीति (Development Policy) का मुख्य मुद्दा रहा है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबी कम करने और गांव में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण का सर्वांगीण विकास करने, ग्रामीण विकास परियोजनाओं में ग्रामीणों का उचित सहयोग (भागीदारी) प्राप्त करने एवं स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपना विकास करने की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु सरकार ने प्रथम योजनाकाल में (विधिवत 2 अक्तूबर 1952 को) सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया। सरकार द्वारा गरीबी दूर करने हेतु समय-समय पर विभिन्न लगभग 20 कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में से एक है।

विकास के लिए व्यावहारिक प्रयास

आर्थिक विकास की गति तेज करने एवं गरीबी दूर करने के लिए योजना आयोग एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 1977 में समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएं बनाई जो प्रयोग के रूप में 16 जिलों में लागू की गई थी। कार्यक्रम का नीचे स्तर तक सही ढंग से क्रियान्वयन हो एवं उसके व्यावहारिक लाभ को देखते हुए वर्ष 78-79 में देश के 5200 विकास प्रखण्डों में से 3000 विकास प्रखंडों का चयन कर कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की सफलता एवं लाभ को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1980-81 से यह सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलते हुए अब लगभग एक दशक पूर्ण होने वाला है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास करना और विकास के लाभों को समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचाना है। योजना अन्तर्गत विकास की कल्पना नीचे से ऊपर की ओर की गई है।

कार्यक्रम की विशेषता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूर्व में चलाए गए/चल रहे अन्य विकास कार्यक्रमों से काफी भिन्न है। (1) देश के सबसे गरीब लोगों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में स्पष्ट सुधार लाना मुख्य उद्देश्य है। (2) ऐसी (स्थायी) सम्पत्ति के निर्माण हेतु ऋण व सहायता दी जाती है, जिससे निरन्तर आय प्राप्त हो सके। (3) कार्यक्रम के माध्यम से ऋण तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग अपना काम धन्धा प्रारम्भ कर आय बढ़ा सकें। (4) विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों/युवतियों एवं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। (5) स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं तैयार माल की बिक्री हेतु कुछ हद तक व्यवस्था।

उत्साहवर्द्धक परिणाम

एक दशक पूर्व प्रारम्भ हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धनों को कृषि के विकास, (पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन), तथा सम्बंधित कार्यों यथा—छोटी

सिंचाई योजना, कुटीर उद्योग एवं स्वरोजगार हेतु काफी वित्तीय सहायता (बैंक एवं सरकार द्वारा) दी गई। परिणामस्वरूप ग्रामीणों की दशा में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 4500 करोड़ रुपये विनियोग किया गया, जबकि सातवीं योजना में 6657.76 करोड़ विनियोग का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 80-81 से 86-87 तक कुल 227 लाख 'लाभार्थियों' (परिवार जिसे एक यूनिट माना गया) को 4664.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 88 के अन्त तक इस कार्यक्रमों का लाभ 2 करोड़ 50 लाख परिवारों ने उठाया। कुल मिलाकर 6 अरब 50 लाख से भी अधिक वित्त उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 1985 से कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया है एवं समय-समय पर उसका मूल्यांकन किया है।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर और बल

छठी योजना के अनुभवों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिससे 'लाभार्थी' को कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 150 लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि कार्यक्रम से 165.62 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे। अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या 64.63 लाख थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि 1994-95 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम तक लाया जाएगा। योजना के अन्तर्गत कुल 6657.76 करोड़ रु. विनियोग (व्यय) का प्रावधान है। 200 लाख परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने का निश्चय किया गया। योजना में अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन (सुधार) लाने हेतु यह निश्चय किया गया कि:

(1) ऐसे लाभार्थी जो गरीबी रेखा पार नहीं कर सके उन्हें पुनः लाभान्वित करने के हेतु बैंक/सरकार से ऋण व सहायता (3,000 रुपये तक) का प्रावधान किया गया।

(2) ग्रामीण परिवारों में महिलाओं का आमदनी जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह लक्ष्य रखा गया कि योजना के तहत कम-से-कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हों। महिला लाभार्थी के चयन पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।

(3) लाभान्वित परिवारों को समय पर कच्चा माल उपलब्ध हो (इनपुट) एवं उन्हें अपने तैयार माल को बेचने (मार्केटिंग) की आवश्यक व्यवस्था हो, इस हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

(4) नए लाभार्थी के चयन हेतु सर्वप्रथम सर्वेक्षण कराना निश्चित किया गया।

(5) केन्द्र सरकार ने देश के 22 प्रखंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नगद ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। इस योजना अन्तर्गत लाभार्थी को आर्थिक सहायता सीधे नगद के रूप में देने का निश्चय किया गया।

अपेक्षित सुधार की आवश्यकता

यह तो कोई नहीं कह सकता है कि सरकार द्वारा देश के गरीब एवं कमजोर वर्ग के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गईं और लागू भी की गईं उससे उनको लाभ नहीं मिला, लेकिन इस विकास और प्रगति की योजनाओं के चलते देश में जो खुशहाली आई उसका समान वितरण नहीं हो सका। समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम जो वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया, इसका परिणाम गांव में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है।

गांव में लोगों को स्वरोजगार मिला है, ऐसी सम्पति मिली है जिससे आय बढ़ी है (पशु पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन; मत्स्य पालन) महिलाओं में विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ स्वयं करने की प्रेरणा दी गई है, फलस्वरूप हजारों महिलाओं ने घर में रहकर ही अपनी आय बढ़ाई है, और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से कुछ हद तक जुड़ी हैं। यह बात मैं इस अनुभव से कह रहा हूं चूंकि मुझे डी. डब्ल्यू., सी. आर. ए. (डेवलपमेंट आफ वूमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया) व अन्य महिला स्वयंसेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं से चर्चा करने का अवसर मिला है। कार्यक्रमों में कई खामियां भी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। वैसे यह स्वभाविक भी है कि इतने बड़े विशाल कार्यक्रम में जिसमें ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होना है, कुछ दोष होंगे ही। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें समय पर दूर कर जिनके हित में यह कार्यक्रम है, उसे प्रभावी बनाया जाए। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है कि :

(1) लाभार्थी का सर्वेक्षण उचित ढंग से किया जाए इस हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम्य सहकारी साख समिति के

कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग लिया जाए। किसी प्रकार का राजनैतिक एवं प्रशासनिक भेद-भाव नहीं किया जाए।

(2) वर्तमान मुद्रा स्फीति (रुपये की गिरती कीमतें) को देखते हुए 10,000 रुपये तक के ऋण हेतु कोई प्रतिभूति नहीं मांगी जाये।

(3) युवकों एवं महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कार्य योजना बनवाकर उसे परियोजना अनुसार ऋण/सहायता उपलब्ध करायी जाए।

(4) आए दिन समाचार पत्रों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा यह कहा जाता है कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में कई बार अनावश्यक विलम्ब होता है। इस हेतु एक समय (15 दिन से एक माह) निर्धारित करना आवश्यक है। यदि अवधि में ऋण स्वीकृत नहीं होता है तो बैंक द्वारा विधिवत लिखित सूचना दी जानी चाहिए।

(5) ग्रामीण दस्तकार (यथा बुनकर, लुहार, कुम्हार, तेली, टोकरी बनाने वाले आदि) को कच्चे माल की समस्या एवं बाद में तैयार माल की बिक्री की भारी समस्या रहती है। अतएव आवश्यक है कि इस हेतु ग्रामीण स्तर पर स्वैच्छिक संगठन/सहकारी संगठन गठित किया जाए जो इनके तैयार माल के लिए न केवल बिक्री को सुनिश्चित करें, बल्कि उनमें अधिक उत्पादन करने की भावना भी जागृत करें।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न संगठन यथा—महिला संगठन, सहकारी संगठन, स्वास्थ्य संगठन बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की कमी है जिससे कार्यक्रम का लाभ सभी को नहीं मिलता। एक प्रकार के व्यवसाय के सभी व्यक्तियों हेतु आधार स्तर (ग्राम स्तर पर) पर एक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके।

(7) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों की समुचित जानकारी देने, लोगों की भागीदारी प्राप्त करने, एवं जागरूक करने हेतु गहन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं ताकि उपलब्ध सुविधा का लाभ कमजोर वर्ग को मिले।

(8) इस बात पर अधिक बल दिया जाए कि प्रत्येक विकास खंड में कम-से-कम 100 महिलाओं को कार्यक्रम का लाभ मिले।

(9) प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लोगों में (गरीबों में) यह प्रेरणा जागृत की जाए कि वे आर्थिक सहायता (बैंक/सरकारी सहायता) प्राप्त कर स्वयं ऊपर उठने में मददगार हो सकते हैं। बाह्य सहायता तो केवल एक सीमा तक ही मददगार हो सकती है, (जिस प्रकार बच्चों के विकास के लिए उसके स्वयं द्वारा किया गया प्रयत्न महत्वपूर्ण है)। प्रेरणा जागृत करने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका लाभ शीघ्र नहीं दिखलाई देता है।

बेरोजगारी की समस्या पर अब प्रत्यक्ष प्रहार करने के लिए एक नवीन (कार्यक्रम) जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई है। नए कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हीं के नाम पर यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के लगभग 5 करोड़ निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा व इसका लाभ मिलेगा। आशा है इस योजना से समाज के निर्बल वर्गों को अपेक्षित लाभ मिलेगा।

सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, शास्त्री नगर,
पटना-800023 बिहार

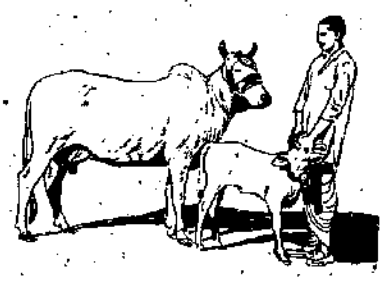

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य (1985-90)

इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व सम्बद्ध कार्यों के लिए कुल 3474 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्यों का भाग 1609.6 करोड़ रुपये तथा केन्द्र का भाग 1864.4 करोड़ रुपये होगा। केन्द्र के लिए निर्धारित उपरोक्त राशि में 245 करोड़ रुपये रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के शामिल हैं। कुल प्रावधान में से 1888.65 करोड़ रुपये सबसिडी पर खर्च होंगे जबकि 488.5 करोड़ रुपये संरचनात्मक कार्यों पर व्यय होंगे।

सातवीं योजना के पांच वर्षों में 2 करोड़ परिवारों को सहायता दिए जाने का लक्ष्य है। छठी योजना में 50 से 60 प्रतिशत वे लाभार्थी जो गरीबी रेखा को पार न कर सके हों उनमें से लगभग 50 प्रतिशत को पूरक सहायता के रूप में औसतन 500 रुपये प्रति परिवार सातवीं योजना में दिया जाएगा। इस योजना में इस कार्यक्रम के लिए परिवारों के चयन का आधार 4800 रुपये वार्षिक पारिवारिक आय होगी जो कि छठी योजना में 3,500 रुपये ही थी। लाभार्थियों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा पूर्ववत ही रहेगी पर प्रति परिवार औसत राशि एक हजार रुपये से बढ़कर 1,333 रुपये हो जाएगी।

विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षणों से उन परिवारों की पहचान की जाएगी जो छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता प्राप्त कर चुके हैं परन्तु आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के लिए पूरक सहायता चाहते हैं तथा निर्धन वर्ग में निम्नतम आय वर्ग के परिवारों को चुना जाएगा जिन्हें छठी योजना में सहायता नहीं मिली है।

यह अनुमान लगाया गया है कि 1984-85 में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की 37 प्रतिशत थी वह घटकर 1989-90 तक 26 प्रतिशत तथा 1999-2000 तक 5 प्रतिशत रह जाएगी।

मूल्यांकन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति व सफलताओं का मूल्यांकन करने पर कुछ कमियां नजर आती हैं जो निम्न प्रकार हैं:

(1) जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया उसके अनुरूप प्रारम्भिक तैयारियां नहीं की गईं। इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने से पूर्व यह अच्छा होता कि इसके सम्बन्ध में समस्त प्रारम्भिक तैयारियां पूरी तरह से कर ली जातीं। किन्तु व्यवहार में इन तैयारियों का पूर्ण अभाव रहा।

(2) प्रत्येक खण्ड में गरीबों की दशा अलग-अलग होती है, ऐसी स्थिति में देश के सभी खण्डों में से प्रत्येक खण्ड से प्रतिवर्ष 3000 परिवार आर्थिक सहायता के लिए चुनना सही प्रतीत नहीं होता।

(3) जिन परिवारों का चयन इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के रूप में किया जाता है, वे इस कार्यक्रम से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं जिससे वे इसे अपनाने के प्रति अधिक जागरूक नहीं हैं।

(4) इस कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों को ऋण न देकर सामान्यतया प्रशासन के द्वारा ऐसे लाभार्थियों को ऋण देना पसन्द किया गया है जिनका बैंक की तरफ कोई ऋण बकाया न हो।

(5) जिस गति से इस कार्यक्रम का विस्तार तथा प्रार्थियों की संख्या में वृद्धी हुई है उस गति से बैंकों के द्वारा ऋण अनुदान प्रदत्त नहीं किया गया।

(6) योजनाओं के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम में उपयुक्त जानकारी व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(7) इस कार्यक्रम में बेनामी लाभार्थियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिससे सही व्यक्ति को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

(8) लाभार्थियों के द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए ली गई आर्थिक सहायता अनेक बार उपभोग क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है जिससे प्रदान की गई सहायता का सही उपयोग नहीं हो पाता है।

(9) इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिए किसी स्थाई संस्था के गठन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है जिससे जनता में यह भय बना रहता है कि यह कार्यक्रम भी सरकार का एक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा।

(10) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। जिनके द्वारा ऋण प्रस्तावों पर बिना विचार किए ही ऋण दे दिया जाता है जो या तो पर्याप्त नहीं होता है या उसका सही आबंटन नहीं हो पाता है।

सुझाव

उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को भविष्य में अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:

(1) अधिकारियों के द्वारा लाभार्थियों के लिए जिन योजनाओं का चयन किया जाए उस समय उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्य में पर्याप्त लाभ बचाने की गुंजाइश हो। ऐसी योजना का चयन नहीं किया जाना चाहिए जिसमें जोखिम की अधिक सम्भावना हो।

(2) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय ब्लाक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी एवं बैंक अधिकारी को पूर्ण निष्ठा से कार्य करना चाहिए क्योंकि ये इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाते हैं।

(3) प्रत्येक ब्लाक में किए गए निवेश व्यय पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा अधिक कठोरता से निगरानी रखी जानी चाहिए।

(4) इस कार्यक्रम के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का समय-समय पर अध्ययन किया जाना चाहिए।

(5) इस कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर समयबद्ध योजनाओं का निर्माण किया जाए। जिनके अन्तर्गत लाभार्थियों की शिनाख्त, ऋण प्रतिवेदन जमा किए जाने, परिसम्पत्ति की आपूर्ति आदि सभी सम्बद्ध क्रियाओं का पूर्ण विवरण सम्मिलित किया जाए।

(6) इस कार्यक्रम के संगठनात्मक पहलू में पर्याप्त सुधार किए जाने चाहिए, जिनके लिए सहकारी समितियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए।

(7) जो कर्मचारी अधिक सहयोगपूर्ण एवं उत्पादक सिद्ध हो रहे हों उन्हें पर्याप्त पारितोषिक दिया जाना चाहिए।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। ग्रामीण गरीबों से जूझने का यह एक अद्वितीय प्रयास है। निःसन्देह यह कार्यक्रम सही दिशा में है। इस समय केवल आवश्यकता इस बात की है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है उनमें सुधार किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए उस परिवार के लिए एक ऐसी स्थाई परिसम्पत्ति का निर्माण हो जाना चाहिए जिससे परिवार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सके।

64, कल्याण कालोनी, टोंक फाटक
जयपुर-302015

लेखकों के लिए

रचना और अन्य प्रकाशनार्थ सामग्री भेजने वालों से अनुरोध है कि रचना भेजते समय वे कृपया इन बातों का ध्यान रखें:—

रचना संक्षिप्त एवं उसकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। इसमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी अप्रकाशित और प्रमाणित होनी चाहिए।

रचना दो प्रतियों में डबल स्पेस में टाइप की हुई हो जो सात-आठ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विषय प्रतिपादन में उपशीर्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

रचना के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी आमंत्रित हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-उपलब्धियां

एल. आर. शर्मा

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से चुने हुए परिवारों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण तथा अनुदान देकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाना है। ऐसे परिवारों या व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से अधिक न हो उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इसमें गांव के निर्धन लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, खेतिहर मजदूर तथा लघु और कुटीर उद्योग, हस्तकला, एवं छोटे-छोटे व्यवसाय आदि में लगे हों, शामिल किए जाते हैं। इनको इस कार्यक्रम के माध्यम से ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ये अपना व्यवसाय शुरू करके अपनी पारिवारिक आय में बढ़ोत्तरी कर सकें।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बात की पक्की व्यवस्था है कि ऐसे परिवार जिनको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है उनमें कम से कम 30% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों। महिलाओं के प्रति भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि ऐसे परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिनकी मुखिया महिलाएं हों। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए गरीबी की रेखा की परिभाषा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 6400 रुपये कर दी गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1978-79 से शुरू किया गया था। दिनांक 2.10.1980 से इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। इस योजना को लघु कृषक विकास एजेंसी से संबद्ध करके बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख अंग बनाया गया है। ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण देना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास इस कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है, जिसमें परियोजना निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस एजेंसी को गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के चयन, इनके विकास हेतु पंचवर्षीय जिला विकास योजना तथा वार्षिक कार्य योजना बनाने का काम सौंपा गया है। इन विकास योजनाओं को जिला सलाहकार समिति और विकास से संबद्ध अन्य अधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। अनुमोदन के उपरान्त इसके कार्यान्वयन के लिए इसे बैंकों के पास भेजा जाता है।

छठी योजना में इस कार्यक्रम पर कुल 4500 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसमें 1500 करोड़ रुपये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में और शेष 3000 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराए गए। छठी योजना अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जो विस्तृत समीक्षा की गई है, उसके अनुसार लाभार्थी चयन एवं अन्य प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, ऋण एवं अनुदान का प्रति परिवार औसत बहुत ही कम रहा, लक्ष्य का सही चुनाव नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस योजना में गुणात्मक सुधार नहीं आया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसे परिवार जिन्हें छठी योजना में पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिली और वे गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए, उनकी सातवीं योजना में पर्याप्त मदद की जाएगी। सातवीं योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि पहले की तरह त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। महिला लाभार्थियों के चयन में भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि एक ब्लाक स्तर पर कम से कम 100 महिलाओं की मदद की जा सके। जनवरी, 1987 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 29.02 लाख परिवारों की मदद की गई जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 74 प्रतिशत है। इनमें 12.46 परिवार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं।

हालांकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरी मुस्तैदी के साथ क्रियान्वित करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है फिर भी इस योजना के सही क्रियान्वयन में कुछ और सुधारों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए विभाग ने 1985 में मासिक समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया जिसका दूसरा चरण जनवरी 1987 में शुरू किया गया। सभी बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और विकास खण्डों के अधिकारियों को लाभार्थियों से

लगातार संपर्क कायम रखना चाहिए ताकि किस्तों की वसूली होती रहे और वे बढ़ी हुई आमदनी से अपना ऋण चुका सकें। बैंक के शाखा अधिकारी जिला विकास एजेंसी द्वारा भेजे गए आवेदनों पर तुरन्त कार्यवाही करें ताकि 15 दिन के अन्दर उनको निपटाया जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के अधिकतर आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अतः खण्ड स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी बैंक शाखाओं को उस क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के साथ सही तालमेल रखना चाहिए ताकि इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए धन से चालू की गई योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित इकाई की लागत और ऋण चुकाने की अवधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 10 प्रतिशत है जो अत्यधिक है। इसमें कमी की जानी चाहिए ताकि लाभार्थियों को और प्रोत्साहन मिले।

खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम सेवकों को चाहिए कि वे ऋण प्राप्त करने वालों की संपत्ति का समय-समय पर मूल्यांकन करें और बैंक ऋण प्राप्त करने में लाभार्थियों की सहायता करें। बैंक शाखाओं और विकास कार्यों में लगी सभी एजेंसियों का आपसी तालमेल होना चाहिए ताकि इस रोजगारोन्मुख कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

ई-148 डी, दिलशाद गार्डन,
नई दिल्ली-95

आई. आर. डी. पी.

मुकेश जैन

भाग्य-चक्र का खेल विचित्र था
विसंगत इतिहास ले खड़ा भारत
कहां, कौन-सा तीर लगा कब
थी सोने की चिड़िया आहत

एक दिन आई आजादी पर
गरीबी का दैत्य अब भी खड़ा तना
शुभ्र धवल परिधान पर भारत मां के
हो जैसे एक काला दाग बना

गरीबी उन्मूलन पर शासन ने तब
एकाग्र भाव से ध्यान लगाया
'हटाओ गरीबी' का दे नारा
ग्राम विकास को आन्दोलन बनाया

सी. डी. पी., एम. एन. पी. और
एन. आर. ई. पी. आदि योजनाएं चलाईं
हाय भाग्य!, पर इन सबसे
नब्ज गरीबी की हाथ न आई

कुछ कार्यों को करने को तो
कई कार्यक्रम एकत्र हुए
साथ ही थे कुछ कार्य वहां
रह गए सभी से अनछुए

हुआ भान तब, पूर्ण रूप से यदि
लाना ग्रामों में है परिवर्तन
बिखरी हुई शक्तियों का सभी
करना होगा आज समन्वयन

ऋण, अंशदान, परिसम्पत्ति दिए साथ जब
हर गरीब गांवों का लगा जागने
था दशकों से जो डेरा डाले
भूत गरीबी का अब लगा भागने

कुछ वर्षों बाद होगी कठिन बड़ी
भारत में निर्धनता की तलाश
आई. आर. डी. पी. से हो यदि
ऐसे ही समन्वित ग्रामीण विकास

विंग-15,
इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट
वस्त्रापुर, अहमदाबाद- 56

उनका जीवन बदल रहा है

प्रभात कुमार सिंघल

हरीशंकर का स्वप्न था कि तीन बीघा जमीन को जोतने के लिए उसकी अपनी बैलों की जोड़ी व अपनी बैलगाड़ी हो। उस दिन वह खुशी से फूला न समाया जब गांव के सरपंच ने बैलों की जोड़ी और बैलगाड़ी के लिए उसका ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार करवाया। कुछ समय बाद ही पिछले दशहरे पर स्वस्थ बैलों की लगाम सरकार ने उसके हाथों में थमा दी। अभी कुछ समय पूर्व ही जैसे ही उसे बैलगाड़ी मिली मुस्कुराहट उसके अधरों पर खिल उठी। कोटा जिले की पंचायत समिति छीपाबड़ौदा के ग्राम गोरधनपुरा का हरीशंकर बताता है कि अपनी बैलगाड़ी और बैलों की जोड़ी का अलग ही मजा है। बैंक की 600 रुपये की पहली किस्त उसने चुका दी है तथा बैंक का ऋण चुकाने के लिए वह कटिबद्ध है।

पीपलखेड़ा गांव का हजारीलाल भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रशंसा करते नहीं अघाता जिससे उसे परचून की दुकान चलाने के लिए छः हजार रुपये की आर्थिक मदद मिली। केवल मेहनत मजदूरी पर निर्भर रहने वाला हजारीलाल इस दुकान से प्रतिमाह 350 रुपये तक आमदनी करने लगा है। इसी गांव के गजरनन्द को भी दुकान के लिए 6 हजार रुपये की मदद सरकार से मिली। इसे खुशी है कि यह अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम बन सका है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर की पंचायत अमरपुरा में चावंडहेड़ी के प्रभुलाल ने भी कभी सोचा नहीं था कि उसकी तकदीर कभी इसी तरह बदलेगी। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रभुलाल को भी कुछ ही समय पूर्व सरकार ने 6 हजार रुपये की मदद की। प्रभुलाल ने इस सहायता से सात नई साइकिलें खरीदी तथा साइकिलों को किराए पर चलाकर और साइकिल की मरम्मत कर अपनी आजीविका कमाने लगा।

राजस्थान में कोटा जिले के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इन परिवारों के समान ही बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पिछले पांच वर्षों में 25,078 निर्धन परिवारों को आठ करोड़ पांच लाख उनसठ हजार 965 रुपये की सहायता ऋण और अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई

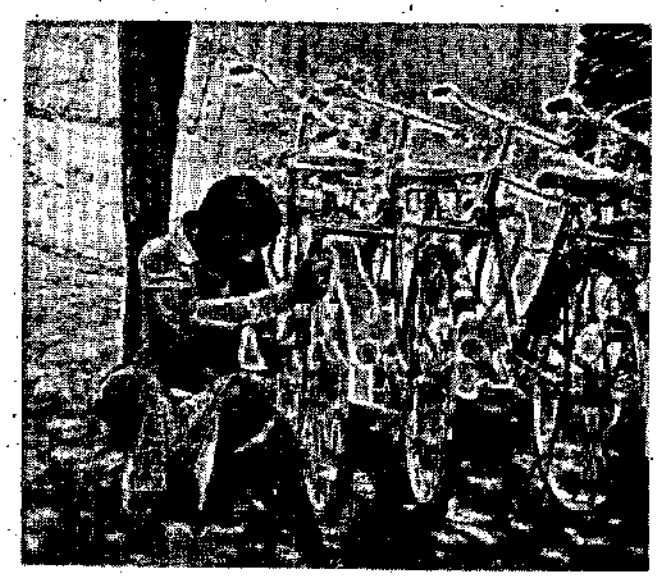

साइकिल की दुकान से प्रभूलाल को आस बंधी

है। लाभान्वित परिवारों में से 8192 परिवार अनुसूचित जाति के एवं 4161 अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित किए गए हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे गरीबोत्थान के इस महत्वपूर्ण कार्यकलाप में प्रेरणा का अनुकरणीय कार्य किया गया। अभिकरण द्वारा जिन परिवारों को आर्थिक सहायता सुलभ कराई गई उनमें से 10,548 परिवारों को दुधारू पशु एवं 14,530 परिवारों को अकृषि कार्यों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

गत वित्तीय वर्ष में जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के उल्लेखनीय प्रयास किए गए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 8 हजार 528 चयनित निर्धन परिवारों को कृषि एवं अकृषि कार्यों पर 3 करोड़ 90 लाख 59 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इनमें से अनुसूचित जाति के 1,802, अनुसूचित जनजाति के 1,627 एवं 545 महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया। □

वनसम्पदा : रक्षा और उपयोग

कमलेश कुमारी

वन प्रकृति की देन है। वन देश की सुन्दरता में वृद्धि करते हैं। वनों का अधिक होना या उनकी कमी होना देश की अर्थव्यवस्था को एक गहराई तक प्रभावित करता है। वैसे भी हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा निर्धन है। हम प्रायः वनों की ओर से उदासीन रहते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम वनों से दूर रहते हैं। वन जो प्राकृतिक संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो ये अत्यधिक कटाव के कारण विनाश का कारण बन जाते हैं।

वन ईंधन और इमारती लकड़ी तो प्रदान करते ही हैं इसके अतिरिक्त लाख, गौंद और रबड़ आदि विभिन्न वस्तुएं तथा पशुओं के लिए चारा, दियासलाई, प्लाईवुड, रेशम, कागज और अनेक उद्योगों को कच्ची सामग्री प्रदान करते हैं। इन वस्तुओं के संग्रह, व्यापार, परिवहन उत्पादन, विक्रय इत्यादि के द्वारा लाखों व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है। वन जलवायु को सम बनाते हैं, भूमि कटाव को रोक लेते हैं, नदियों में बहने वाले जल की गति को नियन्त्रित करते हैं।

मध्यप्रदेश और कर्नाटक में वनों की अपरिमित कटाई के दुष्परिणामों से सरकार का अब ध्यान सामाजिक वानिकी की ओर गया है। वनों के कटाव के कारण भूमि कटाव होता है और इसके कारण बाढ़ें आती हैं और हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। सरकार को सहायता योजनाएं बनानी पड़ती हैं।

तिरुपति में सम्पन्न सत्रहवें भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन में उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर विचार-विमर्श हुआ। इस समय केवल 10 प्रतिशत भाग में ही सघन वन हैं जो भविष्य के लिए खतरा है। नवीन राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण करके वनों की व्यापारिक कटाई पर रोक लगाई जाए। जलशोषक वृक्षों के स्थान पर फलदार और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों को बढ़ाया जाए। चिपको आन्दोलन से जन जागृति पैदा हुई है तथा वन काटना कानून के विरुद्ध है। इस गैर कानूनी वन कटाई को रोकने के प्रयास जारी हैं। परन्तु एक उचित वन विकास नीति की आवश्यकता है जिससे कि वनों की कटाई के स्थान पर नए वनों के विकास की योजनाएं व्यवहारिक रूप ले सकें। □

नव-विकास

मोहन चन्द्र 'मन्दन'

ग्राम-देश भारत है अपना
ग्रामों के जीवन का सपना,
जो सुन्दर साकार हो सके–
दाग-दरिद्रता जो धो सके।

सबके हित हो काम खोजना–
ऐसी बने विकास योजना।
औसत जीवन-स्तर उठे ऊंचा
लाभ पास के ग्राम-समूचा।

निर्धनता का हो उन्मूलन
निर्धन वर्ग रहे ना निर्धन,
पिछड़े-वर्ग बढ़े समाज में–
समभागी हों काम-काज में।

देखें सदा ग्राम पंचायत–
सुख-सुविधा की हो बहुतायत,
ग्राम-तंत्र में लोक तंत्र हो
नव-विकास का लिए मंत्र हो।

नये प्रशिक्षण, नई प्रणाली–
श्रम न किसी का जाए खाली।
अपने पर निर्भर विकास के–
कार्य सफल हों–लाभ ला सकें।

विकास आय के नव-नव साधन
कर पशुपालन, खेती के धन
मिटे गरीबी की जो रेखा–
नई योजना का बन लेखा

बाधाएं उत्पन्न नहीं हों–
सफल बनी संपन्न रही हो
फले समन्वित ग्राम योजना–
व्यक्ति-व्यक्ति का लाभ खोजना।

ए. बी. 820, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-23

ग्रामीण विकास में सफल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

नैपाल सिंह

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" (1979) का मुख्य स्थान है। यह कार्यक्रम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिन से (2 अक्तूबर, 1979) देश के कोने-कोने में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य "ग्रामीण विकास को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उच्च स्थान पर पहुंचाना है।"

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य एवं केन्द्र द्वारा 50:50 के आधार पर धन राशि की व्यवस्था की जाती है तथा इसके अन्तर्गत जिस परिवार की वार्षिक आय 6400 रु. है या इससे कम, उसे गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार मानते हैं तथा ऐसे परिवारों की सहायता इस कार्यक्रम द्वारा की जाती है। सन् 1988 के अन्त तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 32 लाख परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 32.62 लाख परिवारों को सहायता प्राप्त करायी गयी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज के गरीब से गरीब लोगों को ऋण के रूप में पूंजी देकर ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कराना तथा आय में बढ़ोत्तरी करना। इस कार्यक्रम में सिंचाई योजनाएं, मुर्गीपालन, दूध देने वाले पशुओं का उपलब्ध कराना, भेड़ पालना, बढ़ईगीरी, रिक्शा चालक, दर्जी, मोचीगीरी तथा कुछ लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए उचित प्रशिक्षण देकर ग्रामीण-लोगों की आर्थिक सहायता की गई।

सरकार ने वित्त वर्ष 1987-88 के दिनों में भारत की सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 622.12 करोड़ रुपये के रूप में 'केन्द्रीय सहायता' के लिए पहली किस्त जारी कर दी थीं। कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" के लिए 147.73 करोड़ रुपये जारी किये थे।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास करना ही, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कार्यक्रम के विकास के साथ-साथ अस्तित्व में आए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक अन्य मुख्य अंग ग्रामीण विद्युतीकरण है।

ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम द्वारा की गई समीक्षा से यह पता चलता है कि 35 लाख परिवारों का लक्ष्य होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 38.5 लाख लोगों की सहायता की गई। इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 44.50 प्रतिशत किया गया था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पाने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता से एक सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कई अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं तथा इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के अलावा महिलाओं के लिए भी 30 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस अध्ययन के चयनित परिवारों को प्रदत्त कुल सहायता का 53.75 प्रतिशत कृषि सहायक कार्य के लिए ऋण देने का दावा किया है।

इस साल 1988-89 में इस कार्यक्रम पर 31.94 लाख परिवारों के लक्ष्य में से 23.62 लाख परिवार पर 490.79 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें 45.42 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लाभ मिला तथा 30 प्रतिशत महिलाओं के लक्ष्य में से 22.47 प्रतिशत महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह अन्दाजा लगाया जाता है कि यह कार्यक्रम अच्छी सफलता के साथ अधिक प्रगति कर रहा है। □

राष्ट्रीय एकता की प्रतीकः इंदिराजी

रक्षा देवी

यदि मन में संकल्प शक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आमतौर पर भारतीय नारी को निर्बल समझा जाता है। भारत में ही क्यों लगभग पूरी दुनिया में यही स्थिति है। परन्तु भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सूझ-बूझ और दूरदृष्टि से पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि नारियां किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं।

आधुनिक भारत के निर्माण में इंदिराजी का जो बहुमूल्य योगदान है वह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व की गरीब, शोषित-पीड़ित और अशिक्षित जनता का नेतृत्व किया। उनकी तरक्की, खुशहाली और मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो जब तक वे जीवित रहीं राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहीं। आज वह हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी कमी कितनी खलती है।

राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, विज्ञान, औद्योगीकरण, टेक्नोलॉजी, वन, ग्रामीण विकास, आर्थिक नियोजन—यानि ऐसा कोई विषय नहीं था जो इंदिराजी की नजरों से ओझल रहा हो। साम्प्रदायिक एकता के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही बलिदान कर दिया।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने जन्म के समय जिस हवा में सांस ली और जो दूध और पानी उन्होंने पिया, वह देश की स्वाधीनता का अलख जगाने में अर्पित हो रहा था। उन्होंने जो अनाज खाया उस पर स्वाधीनता के पर्जन्य वर्षा कर रहे थे और उनका घर आनन्द भवन आजादी का मंदिर बना हुआ था। समस्त परिवार आजादी का दीवाना था। उस घर में उन्होंने विभिन्न चुनौतियों को स्वीकारा और राष्ट्रीय कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्त्ता से लेकर उसकी अध्यक्ष बनने और उसके बाद अपने स्वनामधन्य पिता के देहावसान के बाद 1964 में पहले सूचना और प्रसारण मंत्री की हैसियत से और बाद में 1966 से प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने देश की जो सेवा की वह सर्वविदित है।

भोपाल में 6 फरवरी 1981 को इंदिराजी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बचपन से मेरा एक ही ध्येय रहा है कि कैसे भारत को मजबूत बनाएं और महान बनाएं। मजबूत तब हो सकता है, जब यहां लोग अमन और शांति से रहें और आपस के झगड़े न हों। हमारे मुल्क की हम इसको खुशकिस्मती मानते हैं कि दुनिया के सब मजहब और धर्म यहां पाए जाते हैं और हमारे मुल्क में बहुत-सी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, हर एक की अपनी रीति है और उनका बहुत पुराना इतिहास भी है और साहित्य भी है। इस सबसे बाहर वाले कभी-कभी कहते हैं कि भारत तो इससे कमजोर होता होगा। लेकिन हमारी धारणा बिल्कुल दूसरी ही है, वह यह है कि इस सब विषमता से, विभिन्नता से कमजोरी नहीं हमारे देश में सौंदर्य आता है और उससे ताकत हमें मिलती है। यह विभिन्नता रखते हुए हम अपनी एकता को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं।

वह कहा करती थीं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किस जाति के हैं या किस धर्म के अपनी जगह सब ठीक हैं। सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन काम-काज में पहले राष्ट्रीयता आती है क्योंकि राष्ट्र शक्तिशाली होगा, वहां एकता होगी, अनुशासन होगा, मजबूती होगी, तभी सब धर्म आगे बढ़ सकते हैं, तभी सब जातियों के साथ न्याय हो सकता है और तभी हम गरीबों को और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सोचना है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

भारतीय समाजवाद का अध्ययन जब होगा तो समीक्षक बतलाएंगे कि किस प्रकार श्रीमती गांधी ने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके कृषि और छोटे उद्योगों की ओर बैंकों को उन्मुख किया। उस समय तक बड़े-बड़े बैंक, बड़े-बड़े उद्योग तो पनपे किन्तु छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग तेजी के साथ नहीं बढ़ सके। हमारे देश में युवा और योग्य उद्यमियों की कमी नहीं थी, किन्तु उनके पास वित्तीय साधनों की कमी थी। इंदिराजी ने इस बड़ी समस्या का हल बैंकों के साधनों को इन छोटे किन्तु योग्य उद्यमियों की सहायता करके किया। यही नहीं साधनहीन और अर्थहीन निर्बलों के लिए बैंकों से सहायता के द्वार खुल गए और आज गांवों तक यह मदद पहुंचनी प्रारम्भ हो गई है। इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी और बेकारी की समस्या का एक समाधान सामने आया है। यह ठीक है कि समस्या बहुत विशाल है और

जनसंख्या वृद्धि के कारण वह बढ़ती भी जा रही है पर प्रकाश की एक किरण उस अंधकार में दिखाई देने लगी है।

जब राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स तथा उनके विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे तब देश के कुछ विचारकों ने यह कहकर उसका विरोध किया था कि सरकार अपने वायदों से हट रही है। लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि वह कदम सार्थक था और उचित था, श्रीमती गांधी की प्रगतिशील आर्थिक नीति का परिचायक तो है ही। छोटे किसानों को उनकी नीति के कारण अच्छे बीज, काफी मात्रा में उर्वरक, सिंचाई के साधनों के लिए सहायता, कीटनाशक दवाएं और आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो रही है।

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जो गौरव इंदिराजी ने दिलवाया, वह किसी से छिपा नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ ही वह प्राचीन भारतीय संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी गहरी दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने कहा था—"संस्कृति और रचनात्मकता बहुप्रचलित शब्द हैं। लोग इनके अलग-अलग मायने लगाते हैं। मैं समझती हूं कि मूल रूप में कोई भी प्रयत्न जो मानव प्राणी की संवेदना को गहरा और परिष्कृत करे, वह सांस्कृतिक है। सभी कलाएं संस्कृति की धारा का अंग हैं लेकिन संस्कृति उससे कुछ अधिक है। यह सभ्यता के विकास की प्रक्रिया है। लेकिन साधारणतः इसकी अवहेलना की जाती है और इसे सीमित दृष्टिकोण से देखा जाता है। मेरी आशा है कि हमारे शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्कृति के व्यापक अर्थ को ध्यान में रखा जाएगा।"

इसी प्रकार हमारे देश की सांस्कृतिक नीतियों और प्रयत्नों में एक व्यापक दृष्टि अपनानी होगी, जिससे कि विभिन्न प्रदेशों, समाज के स्तरों, कलाओं के अंगों, पारंपरिक और समकालीन और प्रयोगात्मक कलाओं में संतुलन रखा जा सके।

वह कहा करती थीं—"हमें अपनी प्राचीन कला पर गौरव है, लेकिन आजकल की कला और कलाकारों पर उससे कम गौरव नहीं है। भारत की जो एक परम्परा रही है, एक लगातार बिना टूटे हुए एक धागे की तरह हमारे इतिहास में रही है, जिसमें कला, संगीत सब चीजें बंधी रही हैं, यह स्वाभाविक है कि आजादी के बाद उसको एक नई शक्ति और नई प्रेरणा मिलती। हरेक में कुछ गुण, कला होती है। कुछ लोग उसको प्रकट कर सकते हैं और कुछ के भीतर दबा रहता है। जो बाहर निकाल सकते हैं, केवल अपने विचार नहीं, बल्कि समाज के विचार, देश के विचार, उस जमाने के विचार, वे बड़े कलाकार होते हैं।"

"दिशा तो कलाकार को ही चुननी है। उसके हृदय की, उसके मन में क्या-क्या स्वप्न हैं और उसके विचार हैं उनको उन्हें प्रकट करना है। संग-संग यह भी देखना है कि वही कला जीवित रहती है, एक-दो साल नहीं, सदियों तक, जो लोगों के जीवन से संबंध रखती है। इसके मायने नहीं कि जीवन को तस्वीर होना चाहिए, बल्कि जिसको देखकर उस चीज से, चाहे वह पेंटिंग हो, चाहे वह गीत हो या जो हो, उनके हृदय में उसका जवाब कुछ आए। वही चीज बच सकती है। तो उसमें, उसके बीच में सरकार नहीं आ सकती है। वह तो कलाकार और आम लोग इन्हीं दो का संबंध बनता है और वही हमें मजबूत करने की कोशिश करनी है।

हमें अपने आदिवासियों की कला पर भी गौरव है। केवल कला पर नहीं बल्कि उनके जीवन की जो भावना है, जिस प्रकार से अनेक कठिनाइयां होते हुए भी दरिद्रता होते हुए, हर चीज की कमी होते हुए वे गाते हैं, नाचते हैं और जो केवल उनका मनोरंजन नहीं है, लेकिन उससे एक प्रकार से सारे देश का उत्साह बढ़ता है। हमें देखना है उनकी यह भावना खो न जाए।

हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं को पूरा आदर मिले क्योंकि वह अपना परिवार खासतौर से नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, चरित्रवान बना सकती हैं, नया रास्ता दिखा सकती हैं। महिलाएं एक प्रकार से प्राचीन परम्परा और आधुनिक भारत के बीच की कड़ी हैं। हम पुरानी परंपरा और संस्कृति और सभ्यता इत्यादि नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उसको साथ रखते हुए देश को आधुनिक बनाना है। मैं समझती हूं कि महिलाएं और युवा पीढ़ी खासतौर से ये दो वर्ग इस काम को बखूबी कर सकते हैं।"

एक नारी होने के कारण इंदिराजी महिलाओं को कैसे भूल सकती थीं। महिलाओं के दुख-दर्द को जितना वह समझती थीं उतना कोई पुरुष क्या समझेगा। तभी तो वह कहा करती थीं कि "समाज में परिवर्तन लाने में नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी महिलाएं ऊपर नहीं उठें। किसी भी देश का क्या स्तर है, उसका मापदंड भी यही है कि वहां की जो साधारण ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जीवन स्तर कितना ऊंचा है। यही कारण था कि हमारे आजादी के आंदोलन में गांधीजी ने सबसे पहले महिलाओं को पुकारा। वे समझते थे कि वे बाहर निकलेंगी, सहानुभूतिपूर्वक उस लड़ाई की तरफ देखेंगी, तभी इतना कठिन रास्ता पार हो सकेगा।" और यह हुआ भी। □

बी-94, शशि गार्डन,
मयूर विहार, दिल्ली-110091

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम : जंगल की गुड़िया, लेखक : डा. श्याम सिंह शशि,
समता प्रकाशन, मूल्य : 10/-, पृष्ठ संख्या : 32

इक्कीस वर्ष पूर्व हिमाचल के यायावरों पर पी. एच. डी. करने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा. श्याम सिंह शशि की अब तक 85 के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डा. शशि द्वारा रचित साहित्य में विशेष सराहनीय कार्यों में से एक सराहनीय कार्य बच्चों के लिए अत्यन्त रोचक, मनोरंजक और हर्षोल्लास पूर्ण बाल साहित्य का सृजन "जंगल की गुड़िया" है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है।

इस पुस्तक में नन्हें-मुन्हें बच्चों की जिज्ञासा और रोचकता बनी रहती है। घटनाओं और पात्रों को कहानी की कथावस्तु और कथोपकथन के आधार पर सही कसा है।

प्रस्तुत पुस्तक में लोमड़ी की गुड़िया, कन्या के जन्म पर खुशियां, जंगल की गुड़िया, जंगल की लोक-कथाएं, हिमाचल की अहिल्या और उड़ने वाले हाथी जैसी कहानियों को सम्मिलित किया है।

कहानी "लोमड़ी की गुड़िया" में जिस तरह मां की ममता का अत्यन्त मार्मिक चित्रण उपस्थित किया गया है वह ममता की पराकाष्ठा है। अपनी सगी मां का मरना मां के रूप में लोमड़ी की ममता को जिस ढंग से चित्रित किया गया वह अत्यंत रोचक और जिज्ञासा पूर्ण है। डा. शशि ने इस कहानी में वास्तविक घटनाओं को ही प्रस्तुत किया है।

"कन्या के जन्म पर खुशियां" नामक कहानी में आदिवासियों में कन्या के जन्म को शुभ माना जाता है और आज के सभ्य समाज से कन्या का पैदा होना उतना खुशी प्रदान करने वाला समाचार नहीं समझा जाता है। यहां लेखक ने मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियों के रहन-सहन और उनके जीवन की झलक प्रस्तुत की है। इस कहानी में उनकी परम्पराओं, रीति-रिवाजों, भोजन व आवास, विवाह आदि के अवसर पर रस्मों-रिवाजों को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है।

"जंगल की गुड़िया" कहानी में एक कन्या का जिक्र किया गया है और यही कन्या कहानी की प्रमुख पात्र है। इस में अकाल के समय का चित्रण किया गया है। रजमन नाम की कन्या भयावहता का सामना करते हुए अपने गांव को अकाल की काली छाया से मुक्त कराती है।

"जंगल की लोक-कथाएं", "हिमालय की अहिल्या" और "उड़ने वाले हाथी" जैसी कहानियां बच्चों को और पाठकों को बेहद प्रिय लगेंगी। इन कहानियों में जिन भावनाओं को संजोकर उपस्थित किया गया है वे बहुत ही शिक्षाप्रद भाव है। "उड़ने वाले हाथी" कहानी में रचनाकार ने कल्पना की उड़ान भरी है कि हाथियों को पंख लगा दिए और इन हाथियों पर दो छोटी-छोटी बच्चियां किस प्रकार काबू पाने में सफल होती हैं, ये बातें बच्चों को बहुत भाती हैं और बार-बार पाठकों को पढ़ने की जिज्ञासा होती जाती है।

यह बाल साहित्य कृति बच्चों को बहुत ही मनोरंजक और रोचक सिद्ध हुई है।

अमरीश सिंह "गौतम"
10/160-61, खिचड़ीपुर,
दिल्ली-91

समन्वित ग्रामीण विकास
कार्यक्रम के अन्तर्गत
गरीब ग्रामीण महिलाओं
को भी सुविधाएं
दी जाती हैं।

5·12·54

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
तारा आर्ट प्रेस, डी-4, हंस भवन, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित